**वर्ष : 21 अंक : 2 (73 वाँ अंक) अप्रैल-जून, 2016**

**विचार**

**बाल सुरक्षा: महत्त्व, व्यवस्था और**

**पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका**

**संपादकीय**

बाल सुरक्षा: महत्त्व, व्यवस्था और पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका

14वें वित्त आयोग की सिफारिशें और केंद्रीय बजट, 2016 - प्रशासनिक बदलाव और विकेन्द्रीकरण की संभावनाएं

स्थानीय सरकार के राजकोषीय धन की स्थिति - कर्नाटक के कोलार जिले का केस अध्ययन

अकाल पर 'स्वराज अभियान' की जनहित याचिका (पीआईएल) पर सर्वोच्च न्यायालय का आदेश, 13 मई, 2016

**गतिविधियाँ**

संपादकीय

समेकित बाल विकास सेवा

बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बच्चों का विकास करना चाहिए, इस मामले पर परिवार, समुदाय और राज्य अधिक ध्यान दे रहे हैं। मानव संसाधन विभाग मंत्रालय के तहत तीस साल पहले, महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना की गई थी। इस विभाग को 2006 में मंत्रालय बनाया गया था। छह साल से कम उम्र वाले बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार करने के साथ ही उन्हें स्कूल जाने के लिए तैयार करने के लिए 1975 में 'समेकित बाल विकास सेवा' जैसे बाल विकास कार्यक्रम शुरू किये गये। बच्चे के पोषण, स्वास्थ्य और सुरक्षित जीवन को ध्यान में रखते हुए 90 के दशक में प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य, पल्स पोलियो प्रतिरक्षण और मध्याह्न भोजन जैसे कार्यक्रम शुरू किए गए थे। छह साल से ऊपर के बच्चों को शिक्षण सुविधा प्रदान करने के लिए कई नवाचार शुरू किये गये थे। इनमें ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड, शिक्षा कर्मी परियोजना, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डीपीईपी) और सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) जैसे कार्यक्रम शामिल हैं। बच्चों को नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार अधिनियम, 2009 पारित होने के साथ 6-14 साल की उम्र के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा को अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है।

अन्य देशों की तुलना में भारत में बच्चों के अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करने की मनोवृत्ति नई है और 1992 में भारत द्वारा बाल अधिकार (सीआरसी), 1989 के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का समर्थन करने के बाद विचार-विमर्श, नीतियों और कार्यक्रमों में इस विषय को शामिल किया गया था। सीआरसी में सभी बच्चों के सभी प्रकार के मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया है। इन अधिकारों को अस्तित्व बनाए रखने के अधिकार, विकास के अधिकार, सुरक्षा के अधिकार और भागीदारी के अधिकार के रूप में वर्गीकृत किया गया है। सीआरसी में दी गई परिभाषा के अनुसार 'बच्चे' का मतलब 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति से है और सीआरसी का अनुसमर्थन करने वाले सभी देश 18 साल से कम आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए देखभाल और संरक्षण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इससे पहले वयस्कों द्वारा बच्चों को शारीरिक और मानसिक विकास सेवाएं प्रदान करने पर ध्यान दिया जाता था, इसके स्थान पर अब इस तथ्य को स्वीकार करके कि बच्चे को अपने स्वयं के विकास में भागीदार बनाया जा सकता है, बालकों के विचारों पर चर्चा और उनका आदान-प्रदान करने के लिए एक मंच की स्थापना करने में मदद करने की जरूरत पर जोर दिया जाता है।

बच्चों के शारीरिक विकास के साथ उनके भावनात्मक, बौद्धिक, सामाजिक और समझ के विकास के लिए एक स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करना भी आवश्यक है। बच्चों के उत्पीड़न, उन पर की जा रही हिंसा और शोषण की बढ़ती घटनाओं को ध्यान में रखते हुए उनके सभी तरह के उत्पीड़न, हिंसा और शोषण के खिलाफ उनकी रक्षा करना भी उतना ही जरूरी है। विशेष रूप से, लड़कियों और नि:शक्त बच्चों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। बच्चों के उत्पीड़न के अध्ययन बताते हैं कि बच्चों का उत्पीड़न करने वाले हर दो में से एक व्यक्ति बच्चे का परिचित या विश्वसनीय व्यक्ति होता है। ऐसा भी हो सकता है कि जिन व्यक्तियों पर यह विश्वास हो कि वे बच्चों की रक्षा करेंगे, उनसे ही बच्चों को खतरा हो।

मुश्किल परिस्थितियों का सामना करने वाले बच्चों के लिए 24 घंटे टोल फ्री आपातकालीन हेल्पलाइन चाइल्डलाइन की शुरूआत, 1986 में पारित किशोर न्याय अधिनियम और बाद में 2002 और 2015 में उसमें किया गया संशोधन, 2012 में यौन अपराधियों से बाल संरक्षण (पीओसीएसओ) अधिनियम, 2009 में समेकित बाल सुरक्षा योजना (आईसीपीएस) की शुरूआत आदि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य द्वारा किए गए प्रयासों के कुछ उदाहरण हैं। इन सभी प्रयासों में, देखभाल और संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों और (सीएनसीपी), कानून के साथ टकराव का सामना कर रहे किशोरों और अन्य बच्चों को ध्यान में रखा गया है। सीएनसीपी में ऐसे बच्चों को शामिल किया गया है जो बेघर हैं, सड़कों पर रहते हैं, स्थलांतरित करते हैं, अनाथ हैं, विकलांग हैं और सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक और राजनीतिक स्थिति के कारण वंचितता का सामना कर रहे हैं।

कानून के साथ टकराव का सामना कर रहे बच्चों के मुकाबले देखभाल और संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों के लिए कानूनी प्रावधान, व्यवस्था, और संवेदनशीलता अपेक्षाकृत बेहतर है। जो बच्चा घृणित (घोर) अपराध का दोषी हो तो 16 से 18 वर्ष के ऐसे अपराधी बच्चे को वयस्क व्यक्ति मानकर, उसके खिलाफ मुकदमा चलाने की छूट देने वाले किशोर न्याय अधिनियम में दिसंबर 2015 में किया गया संशोधन इसका एक ताज़ा उदाहरण है। वयस्क व्यक्ति के रूप में बच्चे पर मुकदमा चलाने की सिफारिश करने से पहले किशोर न्याय बोर्ड के पास बच्चे में ऐसा (घातक) अपराध करने की शारीरिक और मानसिक क्षमता है या नहीं, आपराधिक परिणाम समझने की उसकी क्षमता और किन परिस्थितियों में उसने अपराध किया उसका प्राथमिक मूल्यांकन करने के प्रावधान मौजूद हैं। इन सुधारों में किशोर न्याय के क्षेत्र में मार्गदर्शन प्रदान करने वाले सुधारात्मक न्याय का सिद्धांत लागू करने के लिए उचित दंड देने वाले (प्रतिशोधक) न्याय के प्रावधान हैं। सुधारात्मक न्याय का विचार इस समझ पर आधारित था कि कानून के साथ संघर्ष की स्थिति वाले बच्चे, उनके परिवेश (वातावरण) का शिकार होते हैं और संभवत: उन्हें अपने कृत्यों और उनके परिणामों की गंभीरता की जानकारी नहीं होती। बच्चों के लिए अनुकूल और सुरक्षात्मक व्यवस्था तैयार करके और बच्चों को मदद प्रदान करके उनका पुनर्वास करने से बाल अपराधी (किशोर अपराधी) के व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है।

जस्टिस कृष्णा अय्यर के शब्दों में, 'हर संत का अतीत होता है और हर अपराधी का भविष्य होता है। अपराधियों के अपराध को खारिज़ नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसके खतरनाक दुर्गुणों को दूर किया जा सकता है। उसके अवसाद और कमजोरी का इलाज करके उसकी मानवीय क्षमताओं को वापस लाया जा सकता है ....'

केवल कानून बनाना या संस्थागत व्यवस्था बना देना पर्याप्त नहीं होता। इसके लिए जहां घटनाएं होती हैं वहां - घर में, परिवार के भीतर, स्कूल में या बच्चे की देखभाल वाली संस्थाओं में स्थानीय स्तर पर चर्चा और कामकाज करना आवश्यक है। बच्चे की सुरक्षा, देखभाल और उनके सर्वांगीण विकास की जिम्मेदारी जितनी राज्य की है, उतनी ही समाज की भी है।

बाल सुरक्षा: महत्त्व, व्यवस्था और

पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका

यूनिसेफ, गुजरात के सहयोग से बाल अधिकारों पर पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के लिए 'उन्नति' द्वारा प्रशिक्षण मॉड्यूल बनाने के दौरान यह लेख 'उन्नति' की **रश्मि सिंह** और **गीता शर्मा** द्वारा तैयार किया गया है।

हम सभी जानते हैं कि सभी बच्चों को सुरक्षा का अधिकार है, भले ही वे फिर किसी भी जाति, संस्कृति या सामाजिक-आर्थिक स्थिति से संबंधित क्यों न हों। उन्हें जीवित रहने, सुरक्षित रहने, अभिव्यक्ति करने, पर्याप्त देखभाल प्राप्त करने और एक सुरक्षित वातावरण में लालन-पालन का अधिकार है। भारत सरकार द्वारा संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन (यूएनसीआरसी) के 1992 में अनुसमर्थन के बाद 18 साल के हर व्यक्ति को बालक माना जाएगा उसके लिए न्यूनतम कानूनी उम्र को मान्यता प्रदान की गई है। उसके बाद, यूएनसीआरसी का अनुसरण करते हुए बालकों के अधिकारों और हितों की रक्षा करने वाले कई कानूनों की समीक्षा की गई है और उनमें सुधार किया गया है।

बालकों से संबंधित आँकड़े दर्शाते हैं कि हमारे देश के लाखों बालक पूरी तरह से सुरक्षित नहीं हैं। कई बालक रोजाना हिंसा, अत्याचार, उपेक्षा, शोषण, बहिष्कार और/अथवा भेदभाव का शिकार होते हैं। कानून का यह उल्लंघन बच्चों के जीवन, पालन-पोषण, विकास और सपनों को साकर करने के अवसरों को अवरुद्ध कर देता है। सरकार द्वारा किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि बालक को परेशान करने वाले हर दो में से एक व्यक्ति बालक का परिचित होता है या उसका विश्वसनीय और जिम्मेदारी वाला व्यक्ति होता है। इसलिए, इन निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए बालक की सुरक्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और इस वास्तविकता का भी पता चलता है जिन पर उनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी है उनके हाथों में ही बालक कितने असुरक्षित हैं ।

यह अनुमान है कि भारत की कुल जनसंख्या में बच्चों की संख्या एक तिहाई से अधिक है, और भारत के 40 प्रतिशत बच्चे या तो असुरक्षित हैं या बच्चों के अवैध व्यापार, बाल श्रम, बाल विवाह, शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न, पेशेवर यौन शोषण और अन्य समस्याओं का सामना कर रहे हैं। देश के लगभग 1.1 करोड़ बच्चे सड़कों पर जीवन व्यतीत करते हैं और लगभग 9 करोड़ बच्चे बाल मजदूरी करते हैं, जिसके कारण वे दुर्व्यवहार, उत्पीड़न और विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं के शिकार बनते हैं। इसके अलावा, पिछले दशक की तुलना में वर्तमान दशक में बाल अपराधियों (बाल अपराधी और किशोर आयु वर्ग के अपराधी) की संख्या दोगुनी हो गई है। ये सभी आंकड़े समस्या की गंभीरता की चेतावनी देते हैं।

पंचायत के सदस्य के रूप में यह आवश्यक है कि आप अपने गांव में बच्चों के सुरक्षा के सवाल को समझें और उसके लिए कदम उठाएं, ताकि आपका गांव बच्चों के रहने के लिए सुरक्षित स्थान बन सकें। गांव में माता-पिताओं और सेवा प्रदाताओं से बात करके आप बच्चों के शोषण और उनके साथ होने वाले दुर्व्यवहार के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले हम यह समझें कि बाल सुरक्षा का मतलब क्या होता है और किन बच्चों को अधिक की देखभाल और संरक्षण की जरूरत होती है।

बाल सुरक्षा का अर्थ?

'बाल सुरक्षा' का मतलब है कि 18 साल की उम्र तक के सभी बच्चों के वर्तमान जीवन और भविष्य में आने वाले सभी प्रकार के जोखिमों से रक्षा करना। सरल शब्दों में कहें तो बच्चों की सुरक्षा पर ध्यान देकर खतरनाक स्थितियों से उनकी रक्षा करना है। यह सुनिश्चित करना कि किसी भी बालक को हिंसा, उत्पीड़न, उपेक्षा और शोषण का शिकार नहीं होना पड़े और जो बच्चे इन परिस्थितियों का शिकार बन चुके हैं उनकी पर्याप्त देखभाल, सुरक्षा और सहायता सुनिश्चित की जाए। सामान्य परिस्थितियों और संकट के समय की सभी परिस्थितियों में बच्चों की रक्षा करनी चाहिए जिससे वे जीवन जीने, विकास और कल्याण के अपने विशेषाधिकार का लाभ उठा सकें, ताकि वे बिना किसी डर के अपने बचपन का आनंद उठा सकें।

प्रत्येक बच्चे को संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार है, फिर भी कई बच्चे दूसरों की तुलना में अधिक असुरक्षित, वंचित होते हैं, जिससे उनकी विशेष देखभाल करना और उन पर पर्याप्त ध्यान देना आवश्यक है। इन बच्चों में बेघर बच्चे (सड़क पर रहने वाले बच्चे, विस्थापित, आश्रित, आदि), प्रवासी बच्चे, भटकते बच्चे, विकलांग बच्चे, अनाथ बच्चे, छोड़े हुए बच्चे, मजदूरी करने वाले बच्चे, वेश्याओं के बच्चे, बाल वैश्याएं, वे बच्चे जिनका अवैध व्यापार किया जा रहा है, संघर्ष या आक्रमकता के शिकार बच्चे, यहां तक कि बच्चों में प्राकृतिक आपदाओं के शिकार बच्चे, एचआईवी-एड्स से ग्रस्त बच्चे, घातक बीमारी से पीड़ित बच्चे और अनुसूचित जाति व जनजाति के बच्चे शामिल हैं। सरकार ने इस तरह के बच्चों को 'कठिन परिस्थिति के भोग बने बच्चों' के रूप में मान्यता प्रदान की है, जिन्हें उनकी विशेष सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक और राजनीतिक स्थिति के कारण विशेष देखभाल, सुरक्षा और सहायता की जरूरत है।

बच्चे की सुरक्षा के तीन महत्वपूर्ण पहलू हैं। सबसे पहले, किसी भी तरह की हिंसा न होना। अर्थात्, ऐसी स्थिति जिसमें किसी भी बच्चे का शोषण, उत्पीड़न, उपेक्षा नहीं हो या बच्चे को ऐसी स्थिति में नहीं डाला जाए जो उसके लिए शारीरिक रूप से, मानसिक, संवेदना के स्तर पर या किसी भी अन्य तरह से खतरनाक हो। दूसरा, बच्चों के लिए सकारात्मक प्रक्रियाओं और संरचना बनाने सहित बच्चों के लिए सुरक्षात्मक और सकारात्मक वातावरण का निर्माण करना। तीसरा, सहयोग के लिए प्रभावी तंत्र बनाना। इसका मतलब है कि अगर किसी भी तरह का उल्लंघन हुआ हो, तो जिन बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन हुआ हो, उनके लिए दीर्घकालिक और आपातकालीन जरूरतों का ध्यान रखने के लिए उचित व्यवस्थाएं होनी चाहिए। इन तीनों पहलुओं का समन्वय होना बच्चे की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

बाल संरक्षण क्यों?

बाल सुरक्षा की उपेक्षा से बच्चों के अधिकारों का हनन होता है और उनके उत्पीड़न, शोषण और उपेक्षा की मात्रा में बढ़ोतरी होती है। बाल सुरक्षा क्यों आवश्यक है यह समझने के लिए दो उदाहरण देखते हैं। किसी लड़की की शादी 18 साल की उम्र से पहले कर दी जाए, तो उसके जीवन जीने, विकास और कल्याण के अवसर काफी कम हो जाते हैं। उसके जल्दी गर्भवती होने की संभावना रहती है, जिससे इसकी संभावनाएं काफी बढ़ जाती है कि माँ की मौत हो जाए या मां कई बीमारियों से ग्रस्त हो जाए। ऐसी संभावनाएं भी बढ़ जाती है कि वह स्कूल भी छोड़ दे और शिक्षा से वंचित हो जाए। वह लड़की अपने पति और ससुराल वालों की हिंसा और उत्पीड़न का शिकार हो सकती है। इसके अलावा, बच्चों को कुपोषण, पांडु रोग हो सकता है और शिशु की मृत्यु भी हो सकती है।

चूंकि काम करने वाले बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, इसीलिए वे अपने कौशल और क्षमता का विकास नहीं कर पाते। वे आवश्यक शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाते। वे शारीरिक, बौद्धिक और संवेदनात्मक विकास करने के अवसर से वंचित रह जाते हैं। इसके अलावा, आराम और मनोरंजन, मजाक बचपन का एक महत्वपूर्ण पहलू है, लेकिन काम करने वाले बच्चों को आराम या मनोरंजन के लिए समय ही नहीं मिलता। कम शारीरिक क्षमता के कारण बच्चे वयस्कों की तुलना में काफी ज्यादा थक जाते हैं, जिससे वे लंबे समय तक उबाऊ काम करने के लिए तैयार नहीं होते। इससे बच्चों के रोग के शिकार होने की संभावना बढ़ जाती है। इसमें भी खतरनाक हालात में काम करने वाले बच्चों की स्थिति और भी बदतर होती है और उनके स्वास्थ्य पर खतरा मंडराता रहता है। इतना ही नहीं, बच्चों से काम करवाने के लिए वयस्कों को काम से हटा दिया जाता है और बच्चों को - अकुशल काम करने वाले, श्रम की तुलना में अधिक लाभ प्राप्त करने वाले आदि मानते हुए उनकी आलोचना की जाती है। परिणाम स्वरूप काम करने वाले बच्चे जीवन में रोजगार के बेहतर अवसरों से वंचित रह जाते हैं।

दूसरे शब्दों में, बाल श्रम और बाल विवाह रोककर हम बाल शोषण, उत्पीड़न और उनके साथ होने वाली हिंसा को रोकते हैं और हम उनके अन्य अधिकारों को पूर्ति करने में अपना सहयोग देते हैं।

बच्चों की विशेष देखभाल करना और उन पर पर्याप्त ध्यान देना इसलिए आवश्यक है कि किसी व्यक्ति द्वारा उनके अधिकारों को हड़पने का प्रयत्न करने पर उनके पास उसे रोकने या उसका जवाब देने के लिए पर्याप्त शारीरिक ताकत नहीं होती। विशेष रूप से, उनसे अधिक शक्तिशाली वयस्कों द्वारा उन्हें परेशान या शोषण करने की संभावना रहती है। वयस्क और शक्तिशाली लोग बच्चों की बात नहीं सुनते अथवा वे उन्हें निर्णय लेने में असमर्थ और अपरिपक्व समझते हैं। विशेष रूप से लड़कियां अधिक असुरक्षित होती हैं, क्योंकि ज्यादातर क्षेत्रों में लड़कियों पर कम ध्यान दिया जाता है और उन्हें कम संसाधन व महत्व दिया जाता है। भारत में बाल सुरक्षा के लिए संरचनाएं और संस्थाएं पर्याप्त नहीं हैं और वे मानकों के अनुसार काम नहीं करती। इसके अलावा, वयस्कों के लिए विभिन्न समितियां और मंच होते हैं, जहां वे अपने अधिकारों के लिए शिकायत दर्ज कर सकते हैं, जबकि बच्चों के लिए ऐसा कोई मंच नहीं है।

हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि बच्चों को भी वयस्कों जैसे ही अधिकार हैं और उनके अधिकार मानव अधिकारों से अलग नहीं हैं। हम केवल इसी कारण से बच्चे के अधिकार नहीं छीन सकते कि बच्चा जो कहता है या करता है उसे वयस्क व्यक्ति पसंद नहीं करते या वे व्यक्ति ऐसा सोचें कि वे बच्चे से बेहतर समझ रखते है। बच्चों को संरक्षण का अधिकार है और यूएनसीआरसी और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दस्तावेजों, भारतीय संविधान, भारतीय कानून व नीतियों और खास तौर पर किशोर न्याय अधिनियम, 2000 के साथ ही समेकित बाल संरक्षण योजना (आईसीपीएस) में इसे स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया है। बच्चों को मिलने वाला संरक्षण उनका पालन करने वाले वयस्कों की ओर से मिलने वाला कोई उपहार या कल्याणकारी मानदंड नहीं है। बल्कि बच्चों को उनसे संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार है, जिन पर बच्चों के विकास की जिम्मेदारी है, माता-पिता, शिक्षक, पुलिस, धार्मिक नेता, सरकार, न्यायाधीश, नौकरशाह, डॉक्टर, पंचायत, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, समुदाय के सदस्य या कोई भी नागरिक - इन सभी का कर्तव्य है कि वे बच्चे की सुरक्षा करें।

बच्चों के सुरक्षा की व्यवस्थाएं

भारतीय संविधान इस बात की पुष्टि करता है कि बच्चों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण वे असुरक्षित महसूस करते हैं और उन्हें संरक्षण मिलना आवश्यक है। इसलिए, भारतीय संविधान बच्चों पर विशेष ध्यान देने की गारंटी देता है। बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और बच्चों की असुरक्षा की स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा कई कानून, नीतियां, योजनाएं और कार्यक्रम पारित किए गए है।

एकीकृत बाल संरक्षण योजना (आईसीपीएस) भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एमडब्ल्यूसीडी) की एक प्रमुख पहल है, जो देश में बच्चों के लिए एक सुरक्षात्मक माहौल बनाना चाहती है। इस योजना के तहत केंद्र, राज्यों को विभिन्न क्षेत्रों में बाल संरक्षण प्रणाली को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए धन आवंटित करता है। भारत में बाल संरक्षण से संबंधित कई सरकारी नीतियां, कार्यक्रम और योजनाएं हैं। आईसीपीएस का मुख्य पहलू यह है कि इसमें सभी असुरक्षित बच्चों की प्रभावी और कुशल देखभाल, संरक्षण और विकास से संबंधित सभी मौजूदा कार्यक्रमों/योजनाओं को एक जगह शामिल कर लिया गया है। आईसीपीएस की यह धारणा है कि बच्चे की सुरक्षा सिर्फ एमडब्ल्यूसीडी की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि अन्य विभागों द्वारा भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाना आवश्यक है। जैसे, श्रम मंत्रालय बाल श्रम के मुद्दों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे, तो अलग-अलग कार्यस्थलों में काम करने वाले बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होगी। यह योजना बाल सुरक्षा के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों (एनजीओ), विभिन्न सरकारी विभागों और एजेंसियों को एकजुट करने के प्रयासों पर विशेष जोर देती है। केंद्रीय बजट में बाल संरक्षण के लिए धन के आवंटन में वृद्धि हुई है, जो भारत में बाल संरक्षण की दिशा में सरकार की बढ़ती प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

आईसीपीएस में शामिल बच्चे

आईसीपीएस की गतिविधियां निम्नलिखित परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों पर केंद्रित हैं:

क) वे बच्चे जिन्हें देखभाल और सुरक्षा की जरूरत है। इनमें वे बच्चे शामिल हैं जो बेघर हैं, और जिन्हें परिवार ने छोड़ दिया है। इनमें शारीरिक, मानसिक बीमारी या जीवन के लिए खतरनाक बीमारियों से पीड़ित बच्चे भी शामिल हैं। इसके अलावा, इनमें अनाथ बच्चों और भिखारी बच्चों को शामिल कर लिया गया है। कभी-कभी बच्चों का शारीरिक या यौन उत्पीड़न और शोषण होता है, जैसे कि वस्त्र या खनन उद्योग में काम करने वाले बालक या सैक्स के अवैध व्यापार के शिकार बच्चे। इसके अलावा, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके माता-पिता शारीरिक या मानसिक या आर्थिक रूप से बच्चों की पर्याप्त देखभाल करने में असमर्थ होते हैं। भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं और देश में आंतरिक संघर्ष या नागरिक युद्ध के कारण बच्चे असुरक्षा की स्थिति में पड़ जाते हैं। इस योजना में तहत इस तरह के बच्चों को भी शामिल किया गया है।

ख) कानून से टकराव वाले बच्चे - जिन बच्चों ने अपराध किया हो। जैसे, चोरी के दोषी बालक।

ग) कानून के संपर्क में आने वाले बच्चे - वे बच्चे जो पीड़ित या गवाह या किसी भी अन्य स्थिति में कानून के संपर्क में आए हों। उदाहरण के लिए, अपने माता-पिता की पड़ोसी द्वारा की गई हत्या का साक्षी बच्चा।

आईसीपीएस अंतर्गत वंचित परिवारों के बच्चे, सामाजिक रूप से बहिष्कृत परिवारों के बच्चे, दारुण गरीबी में जीवन व्यतीत करने वाले परिवारों के बच्चे, एचआईवी-एड्स संक्रमण वाले बच्चे, विकलांग बच्चे, भिखारी बच्चे, नशीली दवाओं की तस्करी से जुड़े बच्चे, यौन शोषण के शिकार बच्चे, कैदियों के बच्चे, भटकते और मजदूरी करने वाले बच्चों को भी आईसीपीएस के तहत प्रतिबंधात्मक, कानूनी, देखभाल और पुनर्वास सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

देखभाल, सहायता और पुनर्वास सेवाएं

**(1) चाइल्डलाइन**

'चाइल्डलाइन' यह देखभाल और संरक्षण की जरूरत वाले और मुश्किल स्थितियों का सामना कर रहे बच्चों के लिए 24 घंटे टोल फ्री आपातकालीन फोन सेवा है। कठिनाई में पड़ा कोई भी बच्चा मुफ्त में 1098 नंबर डायल कर सकता है और मैत्रीपूर्ण अनुभवी परामर्शदाता से बात कर सकता है। बच्चे की ओर से बड़े भी 1098 नंबर डायल कर सकते हैं। कुछ मामलों में तो चिकित्सा सहायता ही काफी होती है, लेकिन बच्चे को छोड़ दिया गया हो या घर से भाग गया हो, तब कई बार हस्तक्षेप करने की जरूरत पड़ती है। फोन आने के बाद चाइल्डलाइन का स्टाफ बच्चे के परिवार को खोजने और बच्चे को परिवार से मिलाने की कोशिश करता है। यदि ऐसा करना संभव नहीं हो या ऐसा करना बच्चे के हित में नहीं हो, तो बच्चे की विशेष जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उसे किसी बाल संरक्षण संगठन की सेवा प्रदान की जाती है। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई यह सेवा 549 साथी संगठनों के द्वारा उनके नेटवर्क माध्यम से देश भर में 291 शहरों में संचालित है।

**(2) खुले आश्रय स्थल**

कई बच्चे बेघर और बिना परिवार के होते हैं, जिससे उनके शोषण और उत्पीड़न की संभावना बढ़ जाती है, जैसे भिखारी बच्चे, बाल श्रमिक, भगोड़े बच्चे, फुटपाथ पर रहने वाले परिवारों के बच्चे आदि। विशेष रूप से शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में इस तरह के बच्चों को आश्रय प्रदान करने के लिए खुले आश्रय बनाए गए हैं। इन आश्रय स्थलों में आश्रय और सुरक्षा प्रदान करने के अलावा पोषण, स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छता, शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और खेल सुविधाओं की भी व्यवस्था की गई है। खुले आश्रय स्थानों में बच्चे समय का सदुपयोग कर सकते हैं और संगीत, नृत्य, नाटक, योग, ध्यान जैसी रचनात्मक गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। इन गतिविधियों से बच्चों को समकक्ष समूहों में भाग लेने और सार्थक बातचीत करने का प्रोत्साहन मिलता है। इन आश्रय स्थानों में भोजन, पोषण और स्वास्थ्य की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के अलावा, बच्चों के समग्र विकास और वृद्धि सुनिश्चित की जाती है। इसके साथ ही बच्चों को सामाजिक असामान्य व्यवहार से दूर रखा जाता है। इन बच्चों की ऊर्जा को उत्पादक प्रयासों से जोड़ने के लिए उन्हें मार्गदर्शन और कौशल शिक्षण भी प्रदान किया जाता है।

**(3) गैर-संस्थागत देखभाल**

बच्चे का सबसे अच्छा शारीरिक, संवेदनात्मक और बौद्धिक विकास केवल परिवार के वातावरण में ही हो सकता है। सर्वश्रेष्ठ स्तर की संस्थागत देखभाल भी बच्चे को परिवार में रहकर मिलने वाले प्यार, ममता और संवेदनात्मक संबंधों का विकल्प नहीं हो सकती। इस वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए किशोर न्याय अधिनियम के तहत महत्त्वपूर्ण व्यवस्थाओं के माध्यम से बच्चों के पुनर्वास पर जोर दिया गया है, जो यहा उल्लेखनीय है।

**प्रायोजकता:** कभी-कभी कुछ परिवार अत्यधिक गरीबी की वजह से अपने बच्चों का लालन-पालन नहीं कर पाते। स्थिति में, वे प्रायोजन सेवा प्राप्त कर सकते हैं। गुजरात में जिन परिवारों की वार्षिक आय 24,000 रुपये से अधिक नहीं है, उन वंचित परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। बच्चे को कम से कम 6 महीने बाल घर में रहना होता है। बच्चे की प्रायोजन राशि 2,000 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा है।

**पालन पोषण:** गुजरात में इस योजना के तहत 0-18 साल की उम्र वाले अनाथ बच्चों के पालक माता-पिता को ही यह लाभ मिलता है। जिन बच्चों के माता-पिता देखभाल करने में असमर्थ हैं उन बच्चों के पालन के लिए ही यह प्रावधान है। पालक माता-पिता की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में 27,000 रुपये और शहरी क्षेत्र में 36,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस प्रावधान के तहत, पालक माता-पिता के माध्यम से बच्चों को कामचलाऊ/वैकल्पिक देखभाल प्रदान की जाती है। उल्लेखनीय है कि पालक माता-पिता की देखभाल में रहने वाले बच्चों को पालक माता-पिता गोद नहीं ले सकते। बच्चे के परिवार की स्थिति में सुधार होने पर, अंत में उन बच्चों का उनके अपने परिवार के साथ मेल-मिलाप कराया जाता है। पालक माता-पिता को प्रत्येक बच्चे के लिए हर महीने 2,000 रुपये का भुगतान किया जाता है (अप्रैल 2016 से गुजरात में प्रत्येक बच्चे के लिए लाभ की राशि प्रतिमाह 3,000 रुपये कर दी गयी है)।

**गोद लेना (दत्तक):** बच्चे के माता-पिता की मृत्यु हो गई हो या उसे छोड़ दिया गया जैसी कुछ परिस्थितियों में बालक अपने जैविक माता-पिता से हमेशा के लिए अलग हो गया हो, तो ऐसी परिस्थिति में बच्चे को कानूनी तौर पर गोद लिया जा सकता है और उसके नए माता-पिता उसका ध्यान रखते हैं। इन नए माता-पिता को बच्चे के रिश्ते के साथ जुड़े सभी अधिकारों, लाभों और जिम्मेदारियों के साथ दत्तक माता-पिता माना जाता है।

**(4) संस्थागत सेवाएं**

बालक को उसके परिवार के साथ मिलाना मुश्किल हो या बच्चे के हित में न हो तो बच्चे को देखभाल और संरक्षण प्रदान करने के लिए सरकार संस्थागत सेवाओं की मदद लेती है। इस संदर्भ में कानून की गिरफ्त में आए और देखभाल और संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों के लिए नई संस्थागत सुविधाओं की व्यवस्था की गई हैं। इनमें आश्रय गृह, बालघर, अवलोकन घर, विशेष घर और सुरक्षित स्थान भी शामिल हैं। इसके अलावा, विकलांग बच्चों के लिए विशेष प्रकार के आश्रय घर स्थापित करके या वर्तमान आश्रय घरों में विशेष इकाइयों की स्थापना करके इस योजना के तहत इन बच्चों को भी संस्थागत देखभाल प्रदान की जाती है।

कभी-कभी परिवार या अन्य सहायता प्राप्त नहीं करने वाले बच्चे 18 साल की उम्र होने पर संस्थागत देखभाल छोड़कर स्वतंत्र जीवन अपनाते हैं, तब वे स्वतंत्र जीवन के साथ तालमेल बिठाने में विफल रहते हैं। ऐसे बच्चों के लिए बाद के देखभाल कार्यक्रम का भी प्रावधान है। यह कार्यक्रम ऐसे बच्चों को समाज के साथ तालमेल बिठाने के लिए सक्षम बनाता है और साथ ही संस्था आधारित जीवन से आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है।

**(5) अभिनव हस्तक्षेप**

यह योजना विशेष विकट स्थिति में रहने वाले बच्चों के लिए अभिनव और जरूरतों के आधार पर हस्तक्षेप कार्यक्रमों के लिए सहायता प्रदान करती है। इस तरह के कार्यक्रम जिला या शहर की विशिष्ट जरूरतों पर आधारित हैं। कैदियों के बच्चों, सैक्स वर्कर्स के बच्चों आदि के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू कर सकते हैं। यह योजना राज्य सरकार को इस परियोजना के मौजूदा कार्यक्रमों द्वारा शामिल नहीं किए गए मुद्दों, जोखिम, असुरक्षितताओं पर नवीन परियोजनाओं को शुरू करने का अवसर प्रदान करता है।

कानूनी सेवाएं

बच्चों से संबंधित मामलों की सुनवाई और बच्चे के हित में सबसे अच्छा निर्णय लेने के लिए किशोर न्याय अधिनियम, 2000 के तहत राज्य सरकारों को हर जिले में किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी), विशेष किशोर पुलिस इकाई (एसजेपीयू) और बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) की स्थापना करना आवश्यक है।

**(1) विशेष किशोर पुलिस इकाई (एसजेपीयू)**

आमतौर पर बच्चे पुलिस के साथ बात करते समय डरते हैं। इसके अलावा, पुलिसकर्मियों के पास पहले से ही पर्याप्त मामले होने के कारण वे बच्चों से संबंधित प्रश्नों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। इसके अलावा, बच्चों के साथ बातचीत करने के लिए उन्हें प्रशिक्षण नहीं दिया जाता, इस कारण उनमें बच्चे की सुरक्षा के मुद्दों के प्रति संवेदनशीलता का अभाव होता है। इसलिए, बच्चों के साथ पुलिस बातचीत में सह-निर्देशन के लिए और उसमें सुधार लाने के लिए हर जिले और हर शहर में विशेष किशोर पुलिस इकाई (एसजेपीयू) स्थापित की गई है। जिले या शहर में बाल कल्याण अधिकारी (सीडब्ल्यूओ) के पद पर नियुक्त सभी पुलिस अधिकारी एसजेपीयू के सदस्य हैं। कानूनी आवश्यकता के रूप में, आईसीपीएस के अनुसार, इकाई को सहायता प्रदान करने के लिए प्रत्येक एसजेपीयू में दो वैतनिक सामाजिक कार्यकर्ता होना जरूरी है। इन दो सामाजिक कार्यकर्ताओं में कम से कम एक महिला कार्यकर्ता होनी चाहिए और दूसरे कार्यकर्ता की बाल संरक्षण के क्षेत्र में विशेषज्ञता होनी चाहिए। एसजेपीयू और सीडब्ल्यूओ का उद्देश्य ऐसी अलग पुलिस बनाना है, जो बच्चों के सभी मामलों को संभाले और बच्चों के लिए अनुकूल हो, ताकि बच्चे पुलिस से नहीं डरें।

**(2) बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी)**

बच्चों की देखभाल और संरक्षण की जरूरत पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रत्येक जिले में बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) स्थापित की गयी है। सीडब्ल्यूसी प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधिकारों वाली पांच सदस्यीय समिति है। बाल कल्याण के क्षेत्र से संबंधित विशेषज्ञता वाले व्यक्ति अध्यक्षता संभालते हैं और बोर्ड में कम से कम एक महिला सदस्य होना आवश्यक है। पुलिस अधिकारी, सरकारी कर्मचारी, चाइल्डलाइन का कर्मचारी या सामाजिक कार्यकर्ता परेशानी झेल रहे बच्चे को सीडब्ल्यूसी के समक्ष पेश कर सकते है या वह बालक खुद पेश हो सकता है। सीडब्ल्यूसी का उद्देश्य बच्चे का सर्वोत्तम हित सुनिश्चित करना और बच्चे को सुरक्षित आवास और वातावरण दिलाने के लिए उसके मूल माता-पिता, दत्तक माता-पिता, पालक माता-पिता या देखभाल के लिए संस्था में रखने का निर्णय लेना है।

**(3) किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी)**

कानून से उलझे बच्चों से संबंधित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रत्येक जिले में किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) की स्थापना की गई है। यह बोर्ड कानून तोड़ने वाले बच्चों के लिए विशेष अदालत है, ताकि बच्चों के अधिकारों की रक्षा हो और बच्चे वयस्क अपराधियों के संपर्क में न आएं। इस बोर्ड का उद्देश्य दंडित करना नहीं, बल्कि परामर्श करना और उसके परिणामों के बारे में बच्चे को समझाना है। बोर्ड में मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट और दो सामाजिक कार्यकर्ता (जिनमें से एक महिला कार्यकर्ता होनी चाहिए) शामिल हैं। इस बोर्ड की जिम्मेदारी बच्चे के पुनर्वास के लिए सबसे अच्छे विकल्प के बारे में फैसला करने की है। बच्चे को पुलिस अधिकारी या एसजेपीयू के व्यक्ति द्वारा बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

आईसीपीएस की सरंचनाएं

आईसीपीएस के प्रभावी कार्यान्वयन और देश में बाल सुरक्षा की व्यवस्था में सुधार करने के लिए राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ब्लॉक और ग्राम स्तर पर विभिन्न संगठन स्थापित किये गये हैं। ये संगठन परस्पर जुड़े हुए हैं और आपसी सहयोग के आधार पर काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर (क) देश में योजना के कार्यान्वयन के लिए (ख) परिवार आधारित गैर-संस्थागत कार्यक्रमों की निगरानी के लिए (ग) देश में और देश से बाहर गोद लेने पर सलाह प्रदान करने के लिए (घ) देश में बच्चे के संरक्षण के प्रशिक्षण और अनुसंधान संबंधी गतिविधियों के लिए संस्थान स्थापित किये गये हैं।

**राज्य स्तरीय सरंचनाए**

**1. राज्य बाल संरक्षण सोसायटी (एससीपीएस)** - यह बुनियादी इकाई है, जिसकी जिम्मेदारी आइसीपीएस और राज्य या केंद्र शासित स्तर पर अन्य सभी बाल संरक्षण योजनाओं या कार्यक्रमों और संस्थाओं द्वारा लागू करने और निगरानी रखने की है।

**2. राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी (एसएआरए)** - यह एससीपीएस की इकाई है, जो प्रायोजन, पालक माता-पिता द्वारा देखभाल और बच्चे को (देश के भीतर या देश के बाहर) गोद लेने वाले सभी बच्चों के पुनर्वास और बच्चों के सामाजिक पुनर्गठन के लिए बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) की मदद करने वाली इकाई है।

**3. राज्य परियोजना सहायता यूनिट (एसपीएसयू)** - राज्यों या केन्द्र शासित प्रदेशों में आईसीपीएस के प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सीपीएसयू को मदद प्रदान करने के लिए जिस राज्य में भी आईसीपीएस काम कर रही हो, उस हर राज्य में राज्य परियोजना सहायता यूनिट (एसपीएसयू) स्थापित किए गए हैं। ये इकाइयां सीपीएसयू और एमडब्ल्यूसीडी में स्थित मिशन के निदेशक को सीधे रिपोर्ट करती हैं।

**4. राज्य दत्तक सलाहकार समिति (एसएएसी)** - एसएएसी राज्य स्तरीय प्रायोजन, दत्तक माता-पिता द्वारा देखभाल और बच्चे को गोद लेने (देश के अंदर या बाहर) सहित परिवार आधारित गैर-संस्थागत कार्यक्रमों को बढ़ावा देनेस इसे लागू करने और निगरानी के लिए प्रत्येक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में यह मौजूद है।

**जिला स्तरीय सरंचनाएं**

**1. जिला बाल संरक्षण इकाई (डीसीपीयू)** - यह हर जिले में क्रियान्वयन करने वाली बुनियादी इकाई है। यह जिला स्तर पर बाल अधिकारों और सुरक्षा की सभी गतिविधियों को लागू करती है और उनका सह-निर्देशन करती है। जिला परिषद के अध्यक्ष या जिलाधीश इसकी अध्यक्षता करते हैं।

**2. जिला बाल संरक्षण समिति (डीसीपीसी)** - यह बच्चों की देखभाल करने वाले सभी संस्थानों की गतिविधियों पर देखरेख रखती है।

**3. प्रायोजन और पालक देखभाल अनुमोदन समिति (एसएफसीएसी)** - यह प्रायोजन और पालक देखभाल (बच्चों की देखभाल करने वाले पालक माता-पिता) के धन की समीक्षा करने और उसे मंजूर करने के लिए हर जिले में मौजूद है। यह जिला बाल संरक्षण अधिकारी (डीसीपीओ) के तहत काम करती है। प्रायोजन का उद्देश्य अत्यंत अभाव और गरीबी में जीवन गुजारने वाले परिवारों को अपने बच्चों के लालन-पालन में मदद करना है, जबकि पालक माता-पिता द्वारा बच्चे की देखभाल करना गैर-संस्थागत कार्यक्रम है, जिसमें पालक माता-पिता से बच्चे को अस्थायी या वैकल्पिक देखभाल की व्यवस्था प्रदान की जाती है।

**(1) तहसील बाल संरक्षण समिति (टीसीपीसी)**

तहसील या वार्ड स्तर के निर्वाचित प्रतिनिधि टीसीपीसी के अध्यक्ष होते हैं, खंड विकास अधिकारी (टीडीओ या बीडीओ) इसके सदस्य सचिव हैं। इसकी जिम्मेदारी तहसील स्तर पर बाल संरक्षण सेवाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करना है।

**(2) ग्राम बाल संरक्षण समिति (वीसीपीसी)**

वीसीपीसी किसी भी प्रकार के शोषण, उत्पीड़न या हिंसा के खिलाफ गांव के सभी बच्चों की रक्षा सुनिश्चित करने वाली बुनियादी इकाई है। यह ग्रामीण स्तर पर बाल सुरक्षा सेवाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करने और निर्देश देने के लिए जिम्मेदार है। ग्राम पंचायत के प्रमुख (सरपंच) इसके अध्यक्ष हैं।

पंचायत के सदस्य के रूप में आपको पता होना चाहिए ग्राम बाल संरक्षण समिति ब्लॉक बाल संरक्षण समिति के साथ जुड़ी होती है और वह जिला बाल संरक्षण समिति के साथ जुड़ी होती है। जिलाधीश डीसीपीयू के प्रमुख होते हैं, जिनकी वीसीपीसी द्वारा प्रस्तुत जरूरतों और सवालों पर ध्यान देने की जिम्मेदारी होती है। जब किसी समुदाय या गांव में बाल सुरक्षा से संबंधित कोई समस्या पैदा हो, तब डीसीपीयू वीसीपीसी को सहायता प्रदान करती है। चूंकि गांव स्तर पर बाल सुरक्षा के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए वीसीपीसी प्रमुख संगठन है इसलिए पंचायत के सदस्यों को इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है।

ग्राम बाल सरंक्षण समिति

ग्राम बाल संरक्षण समिति (वीसीपीसी) स्थानीय समुदाय के लोगों का समूह है, जिसकी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि समुदाय के सभी बच्चों को हर तरह के शोषण, उत्पीड़न और हिंसा से सुरक्षा मिले और बालकों के सकारात्मक विकास में सहायक सुरक्षात्मक अनुकूल वातावरण बनाना है। आईसीपीएस के अनुसार देश के सभी गांवों और शहरी क्षेत्रों में ऐसी समितियां स्थापित करना आवश्यक है।

बच्चे जिस समुदाय में रहते हैं, वही समुदाय बच्चों की रक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं, क्योंकि समुदाय ही अपने बच्चों की समस्याओं को सबसे अच्छे तरीके से समझ सकता है। बाल अधिकारों का हनन करने की स्थिति सार्वभौमिक है। पुलिस या अन्य सरकारी तंत्रों की तुलना में समुदाय या गांव के सदस्य को ऐसी हालत के बारे में तुरन्त जानकारी मिलती हैं। इसके अलावा, समुदाय के सदस्य बाल अधिकारों के संभावित उल्लंघन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इस तरह के उल्लंघन को रोक सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर बच्चे की शादी तय हुई हो, तो पड़ोस में रहने वाले समुदाय के सदस्यों को तुरन्त पता लगता है और वे ऐसी शादियों को रोकने के प्रयास कर सकते हैं या संबंधित सरकारी अधिकारियों को सूचित कर सकते हैं। यदि बालक से मजदूरी कराई जाती है, तो समुदाय में रहने वाले लोगों को इस बारे में तुरंत जानकारी मिलती है। वे बच्चे के माता-पिता को बच्चे से मजदूरी नहीं कराने की सलाह दे सकते हैं। इसके अलावा, बाहर के व्यक्ति की तुलना में समुदाय के सदस्यों द्वारा बताए गए उपाय जल्दी से अपनाये जाते हैं और इस तरह के उपायों को सम्मान की नजर से भी देखा जाता है।

**ग्राम बाल सरंक्षण समिति (वीसीपीसी) के सदस्य**

वीसीपीसी में 12 से 15 सदस्य हो सकते हैं और प्रत्येक बैठक में कम से कम 10 सदस्य उपस्थित रहने चाहिए। वीसीपीसी की प्रस्तावित रचना इस प्रकार है:

• प्रधान अध्यापक द्वारा नामित दो बाल प्रतिनिधि (जिनमें से कम से कम एक महिला होनी चाहिए)

• डीसीपीयू का सदस्य

• आंगनवाडी कार्यकर्ता

• स्कूल के शिक्षक या शिक्षकगण

• सहायक नर्स मिडवाइफ (एएनएम)

• आशा कार्यकर्ता

• स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी) के सदस्य या सदस्यगण - महिला सहित तीन ग्रामीण और शिक्षक

• नागरिक समाज के प्रतिनिधि

• महिलाओं और पुरुषों सहित गांव के प्रमुख सदस्य, जो विभिन्न समूहों और विभिन्न आर्थिक वर्गों से होने चाहिए

• सरपंच, ग्राम पंचायत, जो समिति का अध्यक्ष होगा।

**भूमिकाएं और जिम्मेदारियां**

बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समुदाय आधारित व्यवस्थाएं और प्रक्रियाएं सबसे अधिक प्रभावी होती हैं। ऐसा इसलिए है कि बच्चे समुदाय में रहते हैं और समुदाय को गांव में या शहरी क्षेत्रों में होने वाली विभिन्न घटनाओं के बारे में पता होता है। इसके अलावा, समुदाय के सदस्य समुदाय के दृष्टिकोण, जनमत और सामाजिक गतिविधियों को प्रभावित कर सकते हैं। इसके अलावा, समुदाय के सदस्य ही बच्चे के संरक्षण के मुद्दों पर सबसे अच्छे तरीके से नजर रख सकते हैं। वीसीपीसी की मुख्य भूमिका समुदाय के बच्चों के तमाम प्रकार के बाल अधिकारों के उल्लंघनों के खिलाफ संरक्षण करना है और गांव या समुदाय में बच्चों के लिए सुरक्षात्मक और अनुकूल माहौल प्रदान करना है। बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में वीसीपीसी विभिन्न भूमिकाएं निभा सकती हैं। इनमें से कुछ भूमिकाएं इस प्रकार हैं:

**जागरूकता**

बालकों और माता-पिता को बाल विवाह, बाल मजदूरी, बच्चों के अवैध व्यापार, स्कूल छोड़ने, शारीरिक दंड, उत्पीड़न आदि जैसे बच्चे के संरक्षण से संबंधित विभिन्न मुद्दों के बारे में जानकारी नहीं होती। वीसीपीसी द्वारा बाल सुरक्षा की हर समस्या और इस तरह की समस्या के हल के लिए उपलब्ध कानूनी प्रावधानों के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए, ग्राम सभा, किसानों की बैठक, स्वयं सहायता समूह की बैठकों, माता-पिता और शिक्षक बैठकों, त्योहारी मौसम के दौरान समुदाय के सदस्यों के जुटने, गांव में सामाजिक कार्यक्रमों या स्कूल के समारोहों और वीसीपीसी सदस्य द्वारा घरों का दौरा करने के दौरान जानकारी का आदान-प्रदान किया जा सकता है।

**बाल अधिकारों के हनन की पहचान**

वीसीपीसी के सदस्य समुदाय की समस्याओं की पहचान करने में अद्वितीय अंर्तदृष्टि रखते हैं और बच्चों के अधिकारों के संभावित उल्लंघन को वे सबसे पहले भांप सकते हैं। जैसे कि बालक का विवाह तय हुआ हो, तो समुदाय में यह खबर फैलेगी और वीसीपीसी द्वारा समय पर हस्तक्षेप किया जाए, तो इस तरह के विवाह को रोका जा सकता है।

**प्रायोजन के लिए परिवारों या बच्चों का निर्धारण और पालक देखभाल के लिए बच्चों का निर्धारण**

आईसीपीएस समुदाय में प्रायोजन के लायक बच्चों का निर्धारण करने में डीसीपीसी की सहायता करने लिए समिति को सलाह देते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि अत्यंत गरीब परिवारों के बच्चें अपनी शिक्षा प्राप्त कर सकें और बाल श्रम, बाल विवाह या किसी अन्य समस्या का शिकार न हों गुजरात में अप्रैल-2016 से हर महीने 3,000 रुपए की प्रायोजक राशि दी जाएगी। इसके अलावा, वीसीपीसी पालक माता-पिता की जरूरत वाले बच्चों का निर्धारण कर सकती है। बच्चे का पालन करने वाले परिवार को बच्चें की देखभाल करने, उसकी सुरक्षा और शिक्षा के लिए प्रति माह 2,000 रुपए दिये जाते हैं।

**कार्यलक्ष्यी योजना की तैयारी**

वीसीपीसी को गांव में बच्चों की सुरक्षा से संबंधित सभी समस्याओं और उनसे पीड़ित परिवारों या बच्चों के बारे में विवरण तैयार करके प्रत्येक समस्या के निवारण के लिए कार्यलक्ष्यी योजना तैयार करनी चाहिए। इस कार्यलक्ष्यी योजना की समस्या का सामना करने रहे प्रत्येक परिवार या बच्चे को ध्यान में रखते हुए तैयार करनी चाहिए। वीसीपीसी के सदस्यों को इन बच्चों को विश्वास में लेकर उनकी पूरी बात विस्तार से सुननी चाहिए, क्योंकि वे बच्चों की वास्तविक समस्याओं को प्रस्तुत कर सकते हैं।

**मासिक बैठक**

वीसीपीसी से हर महीने समीक्षा बैठक आयोजित करने की उम्मीद की जाती है। बैठक के दौरान पिछले महीने में लिए गए निर्णयों की समीक्षा करनी चाहिए और आने वाले महीनों के लिए योजना बनानी चाहिए। इसके अलावा, बैठक के दौरान ग्राम कार्य योजना, प्रायोजन या पालक देखभाल के किसी भी सूचित मामले आदि की भी समीक्षा की जानी चाहिए।

**स्थानीय स्तर के अन्य समूहों के साथ सहनिर्देशन**

वीसीपीसी को अन्य समूहों के साथ मिलकर सामुदायिक स्तर पर काम करना चाहिए। वीसीपीसी के सदस्य विभिन्न समस्याओं को हल करते समय स्थानीय स्तर पर विभिन्न समूहों की मदद ले सकते हैं। जैसे स्कूल में सुरक्षा के विषय में कोई समस्या हो, तो वीसीपीसी एसएमसी के सदस्यों की मदद ले सकती हैं क्योंकि वे समस्या का बेहतर हल कर सकते हैं। इसी तरह, स्वास्थ्य और पोषण संबंधी समस्या हो, तो ग्राम संजीवनी और कल्याण समिति (वीएचएसएनसी) की मदद ली जा सकती है। समुदाय के विभिन्न समूहों द्वारा सामूहिक प्रयास किए जाएं, तो समुदाय के बच्चों के लिए अधिक सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित किया जा सकता है।

**प्रवर्तन के अधिकारियों को सूचना**

ऐसे कई उदाहरण मौजूद हैं, जब वीसीपीसी बाल अधिकारों के उल्लंघन की गतिविधियों को नहीं रोक पाई है। उदाहरण के लिए, अगर आपराधिक गिरोह, अवैध गतिविधियों के लिए बच्चों की अवैध तस्करी करता हो, तो वीसीपीसी इस तरह की गतिविधियों को रोकने में सक्षम नहीं भी हो सकता है। वीसीपीसी द्वारा बाल अधिकारों का उल्लंघन नहीं रोक पाने की स्थितियों में, वीसीपीसी कानून प्रवर्तन करने वाले अधिकारियों - नजदीकी पुलिस स्टेशन की पुलिस, डीसीपीयू, सीडब्ल्यूसी, बाल घर, बाल विवाह निषेध अधिकारी और श्रम अधिकारी को सूचित करना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि वीसीपीसी कानून प्रवर्तक संस्था नहीं है, इसलिए यह आदेश पारित नहीं कर सकती है। यह सुविधा प्रदाता और मदद करने वाली समिति है, जो सहायता प्रदान कर सकती है, बातचीत कर सकती है और मैत्रीपूर्ण समाधान ला सकती है। इसलिए यह जरूरी है कि वीसीपीसी कानून प्रवर्तन तंत्र के साथ जुड़ी रहे।

बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण बनाने में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका

यह जरूरी है कि पंचायती राज संस्थाएं अपने गांव या समुदाय में बच्चों की सुरक्षा वाली चिंताओं को समझें और उसके अनुसार कदम उठाएं, जिससे गांव या समुदाय में बच्चों के लिए सुरक्षित जगह बनी रहे। पंचायती राज संस्थाएं बच्चों की सुरक्षा के लिए विभिन्न स्तरों पर सरकारी व्यवस्था तंत्र और स्थानीय स्तर के अन्य समूहों के सहयोग से ग्राम स्तर पर बाल सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।

**बाल विवाह**

• बाल विवाह के हानिकारक प्रभावों - स्वास्थ्य जोखिम, अवसरों के अभाव और संभावित खतरों के बारे में समुदाय के सदस्यों में जागरूकता फैलाना।

• समुदाय के सदस्यों को कानूनी प्रावधानों के बारे में जानकारी प्रदान करना

• बाल विवाह के प्रति सावधान रहना और इसे रोकने के लिए कानून का उपयोग करना। यदि आप इस तरह के विवाह नहीं रोक सकें, तो पुलिस या बाल विवाह निषेध (बाल विवाह रोकने वाले) अधिकारी या जिला बाल संरक्षण इकाई को इसके बारे में सूचित करना।

• शादी को नहीं रोका जा सके, तो दूल्हा और दुल्हन की शादी की कानूनन उम्र होने तक शादी को आगे खिसकाने के लिए माता-पिता के साथ विचार-विमर्श करना और

• बच्चों को स्कूल भेजने के लिए माता-पिता को प्रोत्साहित करना।

• बाल विवाह के बारे में जानकारी लेने के लिए गांव के 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों का रिकॉर्ड रखना और जिन बच्चों का बाल विवाह होने की संभावना हो उनकी निगरानी रखना। सटीक सूचनाएं और पहले से निगरानी रखने से बाल विवाह को रोका जा सकता है।

**बाल श्रम**

• विभिन्न सामुदायिक समारोहों, बैठकों, ग्राम सभा आदि के दौरान बाल श्रम और इसके हानिकारक प्रभाव के बारे में बातचीत करना।

• समुदाय के सदस्यों को कानून के बारे में जानकारी प्रदान करना।

• जिन परिवारों के बच्चे काम करते हों, उन परिवारों से मुलाकात करना, माता-पिता को अपने बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलाने और नियमित रूप से स्कूल भेजने के लिए समझाना।

• स्कूल में बच्चों की अनुपस्थिति को कम करने, बच्चों में शिक्षा के प्रति रुचि बनाए रखने और शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के विभिन्न तरीकों के बारे में शिक्षकों के साथ चर्चा करना। यह सुनिश्चित करना कि सभी बच्चों को बिना किसी कठिनाई के स्कूल में प्रवेश मिले। स्कूल में पहुंच में वृद्धि के प्रश्न, शिक्षा की गुणवत्ता, शारीरिक दंड, शिक्षकों की अनुपस्थिति, मध्याह्न भोजन, स्कूल की स्वच्छता आदि से संबंधित प्रश्नों को उठाने के लिए एसएमसी को प्रोत्साहित करना। गुणवत्ता युक्त शिक्षा का अभाव और शारीरिक दंड बच्चों के स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर करने के सबसे महत्वपूर्ण कारक हैं, जिसके कारण बच्चे मजदूरी करने लगते हैं।

• समुदाय की मदद से मजदूरी, खेती और अन्य काम में शामिल बच्चों के बारे में जानकारी प्राप्त करना और पंचायत में इस तरह बच्चों के डेटा (सूचना) रखना।

• बाल श्रम के मामलों के बारे में 1098 पर फोन करके चाइल्ड लाइन को सूचित करना।

• बाल श्रम के प्रतिकूल प्रभावों के बारे में और रोजगार देने वालों पर कानूनी कार्यवाही के बारे में जागरूकता अभियानों को सहयोग करना या इस तरह के अभियानों का आयोजन करना।

• महात्मा गांधी नरेगा कार्यक्रम में तेजी लाना, जिससे अधिक से अधिक वयस्कों को रोजगार मिल सके और बच्चों को अपने परिवार की मदद हेतु काम करने के लिए मजबूर नहीं होना पड़े।

• महात्मा नरेगा के तहत ग्रामीण निगरानी समिति से यह सुनिश्चित करवाना कि वह बाल श्रम उन्मूलन के लिए लगातार निगरानी करती रहे।

**बच्चे और स्थलांतरण (प्रवासन)**

• स्थलांतरण कर रहे या स्थलांतरित परिवारों के समक्ष संभावित चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना।

• स्थलांतरण करने वाले परिवारों के व्यक्तियों को पहचान कार्ड या ग्राम पंचायत द्वारा जारी पत्र साथ रखने के लिए प्रोत्साहित करना। यह कार्ड या पत्र स्थलांतरण की जगह पर सहायता पाने और सुरक्षा प्राप्त करने के लिए बहुत उपयोगी होगा।

• पैतृक गांव (स्रोत गांव) में रहने वाले प्रवासी परिवारों की सूची तैयार करना और एसएमसी के साथ मिलकर उन्हें स्कूल से माइग्रेशन (स्थानांतरण) और प्रगति कार्ड प्राप्त करने में पूरी सहायता करना और जहां स्थलांतरण किया गया है, वहां की स्कूल में बच्चों को प्रवेश दिलाने के लिए माता-पिता को समझाना।

• स्थलांतरण करके विभिन्न स्थानों से पहुंचे परिवारों की सूची तैयार करना और उनके बच्चों को स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी) की मदद से स्कूलों में प्रवेश दिलाने में मदद करना।

• अगर मूल गांव हो, तो एसएमसी को सर्व शिक्षा अभियान की मदद से मौसमी छात्रावास के लिए आवेदन करना और छात्रावास शुरू होने तक समुदाय के सदस्यों की मदद से समुदाय के लिए छात्रावास शुरू करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना।

**शारीरिक और मानसिक सजा**

• बच्चों को स्कूल में या घर पर शारीरिक या मानसिक सजा के प्रतिकूल प्रभावों के बारे में समुदाय के सदस्यों में जागरूकता बढ़ाना।

• स्कूल में घर पर दी जाने वाली सजा के बारे में एसएमसी या वीसीपीसी को बताने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना।

• यदि स्कूल में सजा देने का मामला हो तो हैड मास्टर या किसी शिक्षक के साथ उसके बारे में और इस तरह की सजा को रोकने के बारे में चर्चा करना।

• यदि स्कूल में सजा दी गई हो, तो जिला शिक्षा अधिकारी को सूचित करना।

**भेदभाव और उपेक्षा**

• बच्चों को जागरूक करना कि सभी बच्चे समान हैं और उनको उम्र, लिंग, जाति, नस्ल, रंग, धर्म, क्षेत्र, शारीरिक क्षमता और संपत्ति के आधार पर अन्य बच्चों के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए।

• ग्राम स्तर की सभी बैठकों में उपेक्षा और भेदभाव के सवाल पर चर्चा करना और यह बताना कि किसी भी तरह की असमानता के आधार पर भेदभाव करना अपराध है।

• एसएमसी के साथ मिलकर यह ध्यान रखना कि स्कूल में, विशेष रूप से कक्षा में और मध्याह्न भोजन की गतिविधियों के दौरान लिंग, जाति, संपत्ति, सक्षमता आदि के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव या उपेक्षा नहीं हो।

• बच्चों के साथ संवाद करने के दौरान भेदभाव और उपेक्षा के मुद्दों पर चर्चा करना और इस तरह का भेदभाव या उपेक्षा की जाती है या नहीं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करके आगे की कार्रवाई करना।

**स्कूल छोड़ने वाले बच्चे**

• गांव की सभी बैठकों और समारोहों में आरटीई (शिक्षा का अधिकार) के प्रावधानों के बारे में जानकारी का प्रसार करना, जिससे गांव के हरेक व्यक्ति को इस अधिकार के बारे में जानकारी मिल सके।

• स्कूल छोड़ने वाले बच्चों के बारे में जानकारी प्राप्त करना और उनके बारे में नियमित रूप से जानकारी प्राप्त करते रहना।

• स्कूल छोड़ने वाले बच्चों के परिवारों से मिलना और अपने बच्चों को स्कूल को फिर से प्रवेश कराने के लिए माता-पिता को प्रोत्साहित करना।

• समीक्षा करने के लिए एसएमसी के साथ शामिल होना।

**बाल यौन उत्पीड़न**

• पहला कदम यह मानना और स्वीकार करना है कि बच्चों के साथ यौन शोषण हो सकता है और उनके साथ यह दुर्व्यवहार परिवार में या परिवार के बाहर हो सकता है।

• समुदाय में बच्चों के यौन उत्पीड़न के बारे में जागरूकता फैलाना और बच्चों के अपने शरीर के बारे में अच्छे और बुरे स्पर्श के बीच अंतर को समझने का ज्ञान प्रदान करना, 'ना' कहना सिखाना और इस तरह के मामलों के बारे में सूचित करने के बारे में समझाना।

• समुदाय के सदस्यों को कानूनी प्रावधानों के बारे में जानकारी प्रदान करना।

• बच्चों को यौन उत्पीड़न के बारे में जानकारी देने और इस तरह के उत्पीड़न से खुद की रक्षा करने के बारे में ज्ञान प्रदान करने के लिए एनजीओ या विशेषज्ञों की मदद लेना।

• कोई बच्चा यौन उत्पीड़न के बारे में आपको बताए, तो उसकी बात ध्यान से सुनें और बच्चे को विश्वास में लें। बच्चे को यह विश्वास दिलाएं कि जो भी वह कह रहा है, उसे गुप्त रखा जाएगा। इसके साथ ही बच्चे को यह भी बताएं कि उसके उत्पीड़न लिए वह दोषी नहीं है। ऐसा करने से बच्चा अपने आप को दोषी नहीं मानेगा और शर्म या हीनता महसूस नहीं करेगा।

• बच्चे को जिस पर विश्वास हो, वह वयस्क व्यक्ति उसकी मदद कर सकता है, उसे अपने उत्पीड़न के बारे में बताने के लिए प्रोत्साहित करें - यह व्यक्ति उसके माता-पिता, शिक्षक, दोस्त की मां, या पास-पड़ौस का कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति हो सकता है, जिसके साथ बच्चा अधिक सुरक्षित महसूस करता हो।

• एसा मामला होने पर, परिवार और बच्चे से बात करें। उन्हें जानकारी उपलब्ध करवाकर और उन्हें सलाह व विश्वास देकर उनकी मदद करें। यदि वे पुलिस केस करना चाहते हैं, तो उनकी मदद करें।

• बच्चें के उत्पीड़न मामले के बारे में जिला मुख्यालय में स्थित सीडब्ल्यूसी या डीसीपीयू को सूचित करें।

• स्थानीय पुलिस, एसजेपीयू, डीसीपीयू, सीडब्ल्यूसी, चाइल्डलाइन और बच्चों के मुद्दों पर काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों का संपर्क विवरण तैयार रखें और उसे पंचायत में आसानी से दिखने वाली जगह पर प्रदर्शित करें, जिससे लोग भी इस तरह की जानकारी प्राप्त कर सकें।

• इस समस्या की ओर आगंतुकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बच्चे के साथ उत्पीड़न के चित्रों वाले पोस्टर लगाएं।

**विकलांग बच्चे**

• सबसे पहले तो सदस्यों को विकलांगता के विभिन्न प्रकारों के बारे में पूरी जानकारी देना बहुत जरूरी है। यदि ऐसा हो, तो ही वे अन्य लोगों की मदद कर सकेंगे, क्योंकि विभिन्न प्रकार की विकलांगता में विशेष और विशिष्ट हस्तक्षेप की जरूरत होती है।

• विकलांग बच्चों का सेवा प्रदान करने वाले संगठनों से संपर्क करवाना और इस तरह के संगठनों को जरूरत वाले लोगों के साथ जोड़ना।

• माता-पिता, परिवार और देखभाल करने वाले लोगों को विकलांग बच्चों की विशिष्ट आवश्यकताओं के बारे में बताना। इसके लिए बैठकों में माता-पिता के साथ अथवा आमने-सामने बातचीत की जा सकती है।

• आंगनवाडी/ आशा कार्यकर्ताओं और शिक्षकों को विकलांग बच्चों की विशिष्ट आवश्यकताओं के बारे में बताना और इस तरह के बच्चों के अधिकारों के बारे में जागरूक करना और संवेदनशीलता का प्रसार करना।

• विकलांग बच्चों से भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं किया जाए और उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाए। यह सुनिश्चित करने के लिए स्कूलों और सेवा प्रदान करने वाले अन्य संगठनों पर निगरानी रखना।

ग्राम बाल सरंक्षण समिति (वीसीपीसी) का गठन

सरपंच की पहल से वीसीपीसी का गठन हो सकता है। सरपंच ग्राम सभा की बैठक बुला सकते हैं, जिसमें वयस्कों के साथ-साथ गांव या शहर के सभी बच्चों को एकत्र किया जा सकता है। ऐसी बैठक के दौरान सरपंच वीसीपीसी की स्थापना की जरूरत, उद्देश्यों और आदेशों के बारे में बताते हैं। इसके साथ ही वे समिति के गठन के बारे में बाल सदस्यों सहित सभी सदस्यों की भूमिका स्पष्ट करते हैं। बच्चों सहित मौजूद व्यक्ति वीसीपीसी के लिए योग्य सदस्यों के बारे में चर्चा करते हैं और सदस्य तय करते हैं। बाल सदस्य बच्चों द्वारा तय किए जाते हैं, जबकि उसके लिए मंजूरी वीसीपीसी के लिए तय वयस्क सदस्यों द्वारा दी जाती है। वीसीपीसी के चयन को ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के रूप में पारित किया जाना चाहिए।

भाडभीड गांव में बाल विवाह रोकने में ग्राम बाल सरंक्षण समिति (वीसीपीसी) की सक्रिय भूमिका

भावनगर जिले के भाल क्षेत्र को यूनिसेफ की बाल अधिकार परियोजना में शामिल किया है। यह भाल तहसील के भाडभीड गांव में वीसीपीसी सक्रिय भूमिका निभा रही है। यह गांव आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षणिक स्तर में बहुत पिछड़ा है। परियोजना की पहल के तहत स्थानीय गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) ने बाल समूह, किशोरी समूह और ग्राम बाल संरक्षण समिति जैसे ग्राम स्तर के कई समूहों का गठन किया है। इसके अलावा गांव में ग्राम सूचना केंद्र की भी स्थापना की गई है। ये समूह अपने गांव में बच्चों की सुरक्षा से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करने और समीक्षा करने के लिए नियमित रूप से मिलते हैं। उनकी समझ और सक्रियता के कारण गांव में बच्चों के लिए सकारात्मक परिणाम प्राप्त कर सके हैं।

क्लस्टर रिसोर्स पर्सन (सीआरपी) द्वारा भाडभीड गांव की लड़कियों के साथ बैठक की गई थी, जिसमें सूचना मिली थी कि दो किशोरियों की बहुत छोटी उम्र में जल्द ही शादी होने वाली है। इस खबर को गंभीरता से लेकर सीआरपी ने जल्दी से वीसीपीसी की बैठक बुलाई थी और इस मुद्दे पर सदस्यों के साथ चर्चा की थी। वीसीपीसी के एक सदस्य श्री दानाभाई भरवाड का भी बाल विवाह हुआ था, इस कारण उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। बाल अधिकार और बाल संरक्षण परियोजना के तहत प्राप्त सभी प्रशिक्षण और ज्ञान के मद्देनजर दानाभाई विशेष रूप से बच्चों और बाल विवाह की समस्या के बारे में अधिक संवेदनशील हैं। इसलिए इस मुद्दे को गंभीरता से लेकर उन्होंने हस्तक्षेप किया और शादी रुकवा दी। किशोरियों के परिवारों से मिलकर दानाभाई ने उनके माता-पिता के साथ इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा की। आखिरकार, दानाभाई उन परिवारों को समझाने और विवाह को दो साल के लिए रोकने में सफल रहे। बाल विवाह को रोकने में वीसीपीसी द्वारा किया गया यह सफल हस्तक्षेप था और बाल विवाह के प्रतिकूल प्रभावों के बारे में समुदायों में संवेदनशीलता का प्रसार करने के लिए परियोजना के तहत अन्य गांवों में इस उदाहरण का इस्तेमाल किया जाता है।

स्रोत: यूनिसेफ गुजरात द्वारा विकसित केस अध्ययन में से

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

निम्नांकित समितियों/व्यक्तियों से संपर्क करने के लिए ग्राम पंचायत कार्यालय में फोन नंबर प्रदर्शित करना चाहिए

• विशेष किशोर पुलिस यूनिट

• बाल कल्याण समिति

• किशोर न्याय बोर्ड

• जिला बाल सरंक्षण अधिकारी

• क्षेत्रीय सामाजिक कार्यकर्ता

• जिले और तहसील में बच्चों के साथ काम करने वाले गैर सरकारी संगठन (एनजीओ)

• वीसीपीसी और टीसीपीसी के सदस्य

• चाईल्डलाईन (1098)

• जिला बाल देखभाल संस्थाएं (बाल देखभाल संस्थान)

14वें वित्त आयोग की सिफारिशें और केंद्रीय बजट, 2016 - प्रशासनिक बदलाव और

विकेन्द्रीकरण की संभावनाएं

'उन्नति' की स्वप्नी शाह द्वारा लिखे इस लेख में 2016 के केन्द्रीय बजट के विषय में वित्त आयोग की सिफारिशों के बारे में विभिन्न विचार प्रस्तुत किए गए है। इसके लिए योजना, डाउन टू अर्थ, फाइनेंशियल एक्सप्रेस आदि में प्रकाशित लेखों से मार्गदर्शन प्राप्त किया गया है।

भारत एक संघीय लोकतंत्र है। संघीय लोकतंत्र की इस प्रणाली में सरकार में नागरिकों की बराबर की भागीदारी होती है और संप्रभु सरकार को दो स्तरों में बांटा जाता है - राष्ट्रीय और राज्य स्तर, अर्थात् केंद्र सरकार और राज्य सरकार। भारतीय संविधान के अनुसार, राज्य और केंद्र सरकार के कार्यों का स्पष्ट रूप से सीमांकन किया गया है। जिन विषयों पर दोनों शासन व्यवस्थाओं का क्षेत्राधिकार है, उन्हें समवर्ती सूची में रखा गया है। संघीय शासन प्रणाली का मुख्य उद्देश्य राज्यों के वित्तीय असंतुलन को कम करना और राज्यों में कर की समान दर पर शिक्षा, स्वास्थ्य आदि जैसी सार्वजनिक सेवाओं को सुनिश्चित करना है। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए भारत में राजकोषीय संघीय प्रणाली स्थापित की गई है और विभिन्न संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से उसमें बहुत से परिवर्तन किए गए हैं। इसके अलावा, संसाधनों के आवंटन के मानदंडों में भी परिवर्तन किया गया है। हालांकि, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष असंतुलन यथावत है, सरकार के विभिन्न स्तरों पर संसाधनों और व्यय की जिम्मेदारियों के स्तर में संतुलन की कमी देखने को मिलती है।

केंद्र से राज्यों को होने वाले राजकोषीय हस्तांतरण की प्रणाली में इन वर्षों में परिवर्तन आया है। सांविधिक हस्तांतरण की हिस्सेदारी में कमी आई है और योजना अनुदान में वृद्धि हुई है। योजनागत हस्तांतरण में सामान्य योजना सहायता में (गाडगिल-मुखर्जी फार्मूले के आधार पर) कमी आई है, जबकि केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के विवेकाधीन अनुदान में वृद्धि हुई है। जैसे 2007-08 में गैर-सांविधिक हस्तांतरण 42.6 प्रतिशत था, यह ज्यादातर सीएसएस और राज्य की योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता थी, जो 2010-11 में बढ़कर 49.3 प्रतिशत हो गई थी। 2002-05 और 2005-11 के बीच की समयावधि में राज्यों के लिए केंद्र सरकार द्वारा किया गया व्यय 14 प्रतिशत से बढ़कर 20 प्रतिशत हो गया था, समवर्ती मामलों पर किया गया व्यय 13 से बढ़कर 17 प्रतिशत हो गया था (स्रोत: 14वें वित्त आयोग की रिपोर्ट)। राज्यों को ऐसा लगता है कि उनके क्षेत्र और उनकी रोजकोषीय स्वायत्तता पर अतिक्रमण हो रहा है। इन कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने और इसके कार्यान्वयन में राज्यों की भूमिका नगण्य होने से वे अपनी प्राथमिकताओं और सामाजिक-आर्थिक उद्देश्यों के बारे में फैसला नहीं कर पाते।

वित्त आयोग, केंद्र और राज्यों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए हर पांच साल में गठित की जाने वाली संवैधानिक संस्था है। यह स्थाई और सतत राजकोषीय स्थिति को बनाए रखने वाले उपाय सुझाती है। इसके अलावा, केंद्र द्वारा संवैधानिक आधार पर राज्यों के साथ विभाज्य रकम के वितरण और उसमें से केंद्र और राज्यों के बीच कर राशि के आवंटन की सिफारिशें भी वित्त आयोग द्वारा की जाती हैं।

2 जनवरी, 2013 को डॉ. वाई.वी. रेड्डी की अध्यक्षता में चौदहवां वित्त आयोग (एफएफसी) नियुक्त किया गया था। इस आयोग ने 2015-16 से 2020-21 की अवधि के लिए सिफारिशें प्रस्तुत की थी। एफएफसी ने उल्लेख किया है कि हाल के वर्षों में राज्यों को दी जाने वाली राजकोषीय राशि (कर का हिस्सा, गैर-योजना अनुदान, सीएसएस सहित योजना अनुदान) के लिए आवंटित मात्रा कुल विभाज्य राशि का औसतन 60 प्रतिशत से अधिक थी और राज्यों के हिस्से को बढ़ाने की संभावना नहीं के बराबर थी। बिना शर्त धन के लिए राज्यों को सहायता प्रदान करने के लिए एफएफसी ने सिफारिश की थी कि राज्यों को संसाधन आवंटन करने से पहले कर की राशि सौंपनी चाहिए। इसके साथ, विभाज्य राशि में से राज्य का हिस्सा 32 प्रतिशत (13वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार) से बढ़ाकर 42 प्रतिशत करना चाहिए। ऐसा करने से, राज्यों को अपनी विकास योजनाएं बनाने के लिए ज्यादा राजकोषीय धन प्राप्त होगा। स्थानीय संस्थाओं के लिए अनुदान के साथ राजस्व घाटे के लिए मदद अनुदान (11 राज्यों के लिए) और कोयले की नीलामी में हिस्सेदारी मिलने से इन राज्यों को मिलने वाले राजकोषीय भंडार में काफी बढ़ोतरी होगी। स्थानीय संस्थाओं के लिए बुनियादी अनुदान के अलावा, पंचायतों के लिए 90:10 की दर से और नगर पालिकाओं के लिए 80:20 की दर से निष्पादन के आधार पर अनुदान की व्यवस्था है। पांच साल की अवधि के लिए कुल 2,87,436 करोड़ रुपए का अनुदान प्रस्तावित किया गया है। पंचायत के लिए अनुदान 2,00,292 करोड़ रुपये है। शेष राशि नगर पालिकाओं के लिए है। केंद्र से राज्यों और राज्यों से स्थानीय संस्थाओं को आवंटन की शर्तों और प्रोत्साहन में कमी की गई है, जिससे सरकार के प्रत्येक स्तर की विश्वसनीयता का पता चलता है। इसके साथ ही 14वें वित्त आयोग (एफएफसी) ने राज्य वित्त आयोग को मजबूत करने के भी सुझाव दिए हैं।

ऐसी आम धारणा व्याप्त थी कि राज्यों के लिए धन के आवंटन में अत्यधिक वृद्धि की जाएगी। हालांकि, केंद्र ने राज्यों के लिए आवंटित खर्च में की गई कटौती से यह भ्रम दूर हो गया है। 2015-16 के बजट में राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को 8,42,963 करोड़ रुपये का शुद्ध अनुदान दिया गया था, जो पिछले वर्ष आवंटित 6,83,966 रुपये की धनराशि से 23.2 प्रतिशत ज्यादा थी। केंद्र ने केंद्रीय सहायता वाली अधिकांश योजनाओं के लिए बजट आवंटन में भारी कटौती की थी और 24 योजनाओं की सहायता बंद कर दी थी। इसके अलावा, केंद्र के 2014-15 के अनुमानित बजट में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता 3,29,712 करोड़ रुपए थी, जिसे कम करके 2015-16 में 1,95,778 करोड़ रुपए कर दी गई। नतीजतन, केंद्र के साथ जुड़े अनुदान की मात्रा 2010-11 में राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान का 46 प्रतिशत था, यह 2015-16 में घटकर 25 प्रतिशत रह गया। कई राज्यों में, विशेष रूप से व्यापक गरीब आबादी और उच्च सामाजिक खर्च वाले राज्यों की शिकायत है कि कराधान की केन्द्रीय वितरण की राशि पर्याप्त नहीं होगी। उदाहरण के लिए, संघीय कर राजस्व में बिहार की हिस्सेदारी में 21 प्रतिशत की वृद्धि हुई, लेकिन राज्य को मिलने वाले केन्द्रीय अनुदान में 42 प्रतिशत की कमी हुई है। नतीजतन, राज्य के बजट में करीब 4,000 करोड़ रुपए का शुद्ध नुकसान हुआ है। राजस्थान में राज्य के कर राजस्व में 27 प्रतिशत की वृद्धि हुई और राज्य को मिलने वाले केन्द्रीय अनुदान में 28 प्रतिशत की कमी हुई है।

14वें वित्त आयोग ने सुझाव दिया कि सीएसएस के कार्यान्वयन के लिए राज्यों को अधिक राजकोषीय जिम्मेदारी उठानी चाहिए। गुणवत्ता युक्त सार्वजनिक सेवाओं के न्यूनतम मानदंड सुनिश्चित करने के निश्चित उद्देश्य के साथ धन का आवंटन करने के लिए (इन सेवाओं को राज्य की सूची में होने के बावजूद) केन्द्र सरकार के पास कितने भी संसाधन होने के बावजूद उच्च करों का वितरण सीएसएस के लिए उपलब्ध राजकोषीय सुविधाओं के लिए बाधक होगा। इसलिए, आयोग ने यह सिफारिश की है कि ऐसी योजनाएं सीमित संख्या में होनी चाहिए और उनकी रूपरेखा तैयार करने और कार्यान्वयन के सवालों पर निर्णय केन्द्र और राज्य सरकार के प्रतिनिधियों और विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा लेना चाहिए।

वर्ष 2015-16 के बजट में सीएसएस पर खर्च में काफी कमी की गई है। नागरिक समाज के समूहों ने यह चिंता व्यक्त की है कि क्या इसकी संभावना है कि राज्य स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक क्षेत्रों पर कम खर्च करें। एक अनुमान यह लगाया गया है कि केन्द्र सरकार मूलभूत सामाजिक सेवाओं के लिए धन आवंटन में कटौती कर रही है, तब उन सेवाओं पर की गई कटौती को पूरा करने के लिए राज्यों द्वारा इन सेवाओं पर खर्च बढ़ाने की संभावना नगण्य है (पीटीआई)। राज्य परिसंपत्तियों (पूंजीगत व्यय) की कीमत पर वेतन और पेंशन पर अधिक खर्च करते हैं। हालांकि, आशावादी तर्क यह है कि राज्यों के पास पिछले वर्ष उनके बजट पर एफएफसी की सिफारिशों पर प्रतिक्रिया करने के लिए समय नहीं था या राज्य केंद्रीय बजट में किए गए परिवर्तनों पर प्रतिक्रिया नहीं दे पाए थे। वर्ष 2015-16 के लिए संशोधित अनुमान (आरई) कई राज्यों के बजट अनुमान (बीई) से काफी अलग हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्ष 2016-17 के लिए राज्यों के बजट अनुमान में आवंटन मुख्य आधार है और उसका सावधानी पूर्वक विश्लेषण करना आवश्यक है। स्वास्थ्य राज्य का विषय होने के बावजूद, नीति आयोग के तहत मुख्य मंत्रियों के उप-समूह पर सीएसएस की रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई है कि दो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजनाएं - राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और समेकित बाल विकास सेवा - राष्ट्रीय विकास के एजेंडे के हिस्से के रूप में बनी रहेंगी। नीति आयोग के सदस्य और अर्थशास्त्री विवेक देबारॉय ने डाउन टू अर्थ को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि 12 वीं पंचवर्षीय योजना का अंतिम वर्ष 2017 है और केंद्र सरकार तब तक चालू परियोजनाओं को धन उपलब्ध करवाती रहेगी। अगर राज्य सरकारें अतिरिक्त आवंटित राशि में से 10 प्रतिशत राशि स्वास्थ्य क्षेत्र में खर्च करें तो कुल स्वास्थ्य खर्च में वृद्धि होगी। इसके अलावा, अगर राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों को अनिवार्य किया जाए, तो वे क्षमता वर्धन पर खर्च नहीं करेगी - यह डर भी दूर हो जाएगा। (डाउन टू अर्थ, सोमवार, 29 फरवरी, 2016 के अंक में से)

इस बीच, सरकार अभी भी अतिरिक्त संसाधनों के लिए उपकर और अधिभार लागू करने की कार्य प्रणाली पर निर्भर है। वर्ष 2015-16 में केंद्र सरकार का कुल कर राजस्व बजट अनुमान (बीई) की तुलना में 10,121 करोड़ रुपये अधिक था। केंद्र सरकार का हिस्सा 27,666 करोड़ रुपये अधिक था, तब भी राज्यों को 17,765 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। यहां तक कि गैर-वित्त आयोग अनुदान भी संशोधित अनुमान (आरई) के साथ 3,539 करोड़ रुपये कम था। वर्तमान आवंटन में राज्य का हिस्सा बजट अनुमान (बीई) की तुलना में 21,304 करोड़ रुपये कम था। इस प्रकार, संशोधित बजट अनुमान (आरई) में कुल कर राजस्व में राज्यों का हिस्सा बजट अनुमान (बीई) के 36.2 प्रतिशत की तुलना में घटकर 34.6 प्रतिशत रह गया था। वर्ष 2016-17 सर्विस टैक्स पर आधा प्रतिशत अतिरिक्त सरचार्ज लागू किया गया है। इस प्रकार के कर के अतिरिक्त राजस्व में राज्य का हिस्सा शामिल नहीं है।

केंद्रीय बजट 2016 में विकेन्द्रीकरण और ग्रामीण विकास को प्रभावित करने वाले कई महत्वपूर्ण प्रावधान हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आवंटन 87,765 करोड़ रुपये था (यह पिछले वर्ष 79,526 करोड़ रुपये था)। एफएफसी की सिफारिश के अनुसार ग्राम पंचायतों और नगर पालिकाओं को सहायक अनुदान के रूप में 2.87 लाख करोड़ रुपये दिये जाएंगे। 655 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान नामक नई योजना प्रस्तावित कई गई है। इस योजना से यह उम्मीद है कि यह स्थानीय सरकारों की क्षमता वर्धन करेगी और राज्य में चल रही ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) की प्रक्रिया में सुधार करेगी। अगर यह योजना ठीक तरह से कार्यान्वित की जाए और लोगों और स्थानीय इकाइयों की क्षमता में विश्वास रखा जाए तो महत्वपूर्ण बदलाव आ सकता है। संविधान के 73वें संशोधन के कारण महत्वपूर्ण परिवर्तन की व्यापक संभावनाओं के बावजूद वास्तविक विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया के लिए कई संस्थागत बाधाएं हैं। भारतीय संविधान की धारा 243-G के अनुसार - राज्य सरकारों द्वारा विशिष्ट कार्यों को पंचायतों को सौंपा जाना है - यह धारा केवल कागज पर मौजूद है। केरल, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल जैसे कई राज्यों में 26 विभागों को पंचायतों को सौंपा गया है, उसके सामने कुछ राज्यों में मुट्ठी भर कार्य - केवल चार विभाग ही पंचायतों को सौंपे गये हैं। सार्वजनिक सामग्री और सेवाएं कुशलता पूर्वक उपलब्ध करवाने के लिए पंचायती राज संस्थाओं के लिए विशेषज्ञ समिति की ताज़ा रिपोर्ट से पता चला है कि महात्मा गांधी नरेगा और पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ) के अलावा किसी अन्य सीएसएस ने पंचायतों को जिम्मेदारी नहीं सौंपी है। केन्द्रीय योजनाओं के लिए पंचायतों हेतु धन की व्यवस्था अभी भी संबंधित राज्यों के ऊपरी विभागों द्वारा की जाती है। संक्षेप में, पर्याप्त वित्तीय संसाधनों के बिना ये स्व-संचालित संस्थाएं राज्य के नेतृत्व की दया पर चल रही हैं। इस संदर्भ में केंद्रीय बजट का 15 प्रतिशत आवंटन पंचायतों को करने से इन महत्वपूर्ण संस्थाओं के निष्पादन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। ये स्थानीय संस्थाएं गांव में सड़कों, स्ट्रीट लाइट, सीवर सिस्टम, पीने के पानी की सुविधा, साफ-सफाई आदि जैसी सेवाएं प्रदान करती हैं। इसलिए बजट आवंटन का ग्रामीण भारत में सेवाएं उपलब्ध कराने की स्थिति पर प्रभाव पड़ना आवश्यक है। स्थानीय कार्यक्रमों को तैयार करने और इन कार्यक्रमों को लागू करने के लिए स्थानीय सरकार के प्रावधानों को बेहतर किया गया है।

अकाल और आपदा स्थितियों में प्रत्येक तहसील को दीन दयाल अंत्योदय मिशन के तहत शामिल किया जाएगा। महात्मा गांधी नरेगा के लिए 38,500 करोड़ रुपए आवंटित किये गये हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन के तहत 300 अर्बन समूहों का विकास किया जाएगा। खुले में शौचमुक्त गांवों को प्रोत्साहन देने के लिए सीएसएस में से प्राथमिक आवंटन किया जाएगा। ग्रामीण भारत के लिए नई डिजिटल साक्षरता मिशन योजना में अगले तीन वर्षों में छह लाख अतिरिक्त परिवारों को शामिल किया जाएगा।

कृषि और किसानों के कल्याण के लिए 35,984 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं (यह 2014-15 में 15,809 करोड़ रुपये था)। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को मिशन के रूप में लागू किया जाएगा। 28.5 लाख हैक्टेयर भूमि को सिंचित किया जाएगा। नाबार्ड में 20,000 करोड़ रुपये के प्रारंभिक धन के साथ दीर्घावधि सिंचाई कोष स्थापित किया जाएगा। 6,000 करोड़ रुपए के अनुमानित खर्च के साथ भू-जल संसाधनों के सतत प्रबंधन के लिए कार्यक्रम को बहुपक्षीय कोष के माध्यम से लागू किया जाएगा। बारिश वाले क्षेत्रों में महात्मा गांधी नरेगा के तहत पांच लाख खेत-तालाब व कुएं और जैविक खाद बनाने के लिए 10 लाख खाद गड्ढ़े (कंपोस्ट पिट) बनाए जाएंगे। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के तहत मार्च 2017 तक सभी 14 करोड़ खेत-जोतों को शामिल किया जाएगा। उर्वरक कंपनियों के 2,000 मॉडल रिटेल आउटलेट को अगले तीन वर्षों में मिट्टी और बीज परीक्षण की सुविधा प्रदान की जाएगी। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में परंपरागत कृषि विकास योजना और जैविक मूल्य श्रृंखला विकास के माध्यम से जैविक खेती को बढ़ावा देने का प्रस्ताव दिया गया है। एकीकृत कृषि विपणन ई-प्लेटफॉर्म थोक बाजार के लिए सामान्य (साझा) ई-मार्केट प्रदान करेगा। किसानों को ऋण चुकाने का बोझ कम करने के लिए ब्याज की आर्थिक मदद के लिए 15,000 करोड़ रुपए निर्धारित किये गये हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 5,500 करोड़ रुपए आवंटित किये गये हैं। स्थानीय डेयरी फार्मिंग उद्योग से संबंधित चार परियोजनाओं - राष्ट्रीय जीनोमिक केंद्र, पशुधन संजीवनी, नकुल स्वास्थ्य पत्र और ई-पशुधन हाट ट के लिए 850 करोड़ रुपये निर्धारित किये गये हैं।

ग्रामीण बिजली व्यवस्था को भी आवश्यक गति प्रदान की गई है, इस क्षेत्र में 8,500 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं जिससे दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में विद्युत सेवा जल्दी पहुंचेगी। ग्रामीण सड़क कार्यक्रम (प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना - पीएमजीएसवाई) में 2015-16 (आरई) में 10,100 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था, इसे 2016-17 में (बीई) में 19,000 करोड़ रुपये किया गया है। शेष 65,000 बस्तियों को वर्ष 2019 तक जोड़ने की योजना बनाई गई है।

शिक्षा और स्वास्थ्य सहित सामाजिक क्षेत्र के लिए 1,51,581 करोड़ रुपए आवंटित किये गये हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में मामूली वृद्धि की गई है। शिक्षा के मामले वर्ष 2015-16 के लिए संशोधित अनुमान (आरई) 2015-16 के बजट अनुमान (बीई) से लगभग 10 प्रतिशत कम था। बीपीएल परिवारों को रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए प्रारंभिक खर्च के लिए 2,000 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं। नई स्वास्थ्य बीमा योजना हर परिवार को एक लाख रुपए तक की स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेगी। वरिष्ठ नागरिकों के लिए 30,000 रुपए तक का अतिरिक्त टॉप-अप पैकेज प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री की सार्वजनिक दवा योजना के तहत वर्ष 2016-17 के दौरान 3,000 दुकानें खोली जाएंगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) व्यवस्था के माध्यम से राष्ट्रीय डायलिसिस सेवा कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। 62 नए नवोदय विद्यालय खोले जाएंगे। सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान देगा। दस सार्वजनिक और दस निजी संस्थानों को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थानों के रूप में उभारने के लिए उन्हें नियामक आर्किटेक्चर प्रदान किया जाएगा। 1,000 करोड़ रुपये की प्रारंभिक पूंजी के साथ उच्चतर शिक्षा वित्त पोषण एजेंसी स्थापित की जाएगी। स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, कॉलेज की डिग्री, अकादमिक पुरस्कार और मार्क शीट के लिए डिजिटल डिपोजिटरी की व्यवस्था की जाएगी। कौशल वर्धन के लिए 1,804 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

विवेक देबारॉय का कहना है कि "2016-17 परिवर्तन का साल रहेगा और सिफारिशों का असर 2017-18 के बजट में दिखाई देगा। क्योंकि, उसी वर्ष वास्तविक संगठनात्मक परिवर्तन आकार लेंगे ...." राज्यों के सुचारू प्रशासन पर नजर रखने की भूमिका लोगों को निभानी है। (डाउन टू अर्थ, 29 फरवरी, 2016 के अंक में प्रकाशित चर्चा के अंशों को मूल रूप में प्रस्तुत किया गया है) यह तो समय ही बताएगा कि राज्य सरकारें इन अवसरों को सकारात्मक रूप में किस प्रकार परिवर्तित करती हैं और अपनी स्थानीय संस्थाओं को आवश्यक सेवा प्रदान करने वाली संस्थाएं बनाने के लिए किस प्रकार उनका सशक्तिकरण करती हैं।

स्थानीय सरकार के राजकोषीय धन की स्थिति -

कर्नाटक के कोलार जिले का केस अध्ययन

जवाबदेही के संदर्भ में - योजना, आवंटन और व्यय का संस्थागत अध्ययन (PAISA - PLANNING, ALLOCATIONS AND EXPENDITURES, INSTITUTIONS STUDIES IN ACCOUNTABILITY), यह सेन्टर फॉर पॉलिसी रिसर्च की एक जवाबदेही पहल नामक परियोजना है। 'पैसा' सामाजिक क्षेत्र के कार्यक्रमों में सरकार के अन्दरूनी हस्तांतरण की प्रक्रिया के प्रभाव को समझने का एक प्रयास है। यह योजना, बजट, धन प्रवाह और निर्णय लेने की प्रक्रिया के प्रशासनिक पदानुक्रम के माध्यम से किया जाता है। सेन्टर फॉर पॉलिसी रिसर्च की जवाबदेही पहल की अनुसंधान परियोजना के हिस्से के रूप में रिपोर्ट का ब्यौरा यहाँ दिया गया है।

1992 में पारित 73वें संशोधन का प्रयोजन संविधान में पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) की कुछ विशिष्ट विशेषताओं को शामिल करना था। ताकि, ये संस्थाएं सार्वजनिक संस्था के रूप में स्थिति और गरिमा हासिल कर सकें। इन सुधारों के मद्देनजर राज्यों को ऐसी व्यवस्था तैयार करनी थी, जिससे विकास योजनाओं को तैयार करने और योजनाओं के क्रियान्वयन की जिम्मेदारियां और अधिकार पंचायतों को दिए जा सकें। इसके अलावा, राज्यों को पंचायतों के लिए उचित वित्तीय प्रावधान सुनिश्चित करने की भी सलाह दी गई थी।

इस संशोधन को पारित किये दो दशक से अधिक का समय बीत जाने पर यह समझने की जरूरत है कि विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया ने क्या आकार लिया है। आर्थिक और प्राकृतिक संसाधनों के क्षेत्र में बढ़ते वैश्विक संकट के लिए भारत में राजकोषीय संघीय प्रणाली और अंतर-सरकारी संबंधों के महत्व की स्थिति में वृद्धि हुई है। इन परिस्थितियों में सवाल उठता है कि - केंद्र और राज्यों द्वारा पंचायतों को राजकोषीय आवंटन का सच्चा अनुपात क्या है?

कुछ अपवादों को छोड़ दें, तो भारत में पंचायत के लिए वित्त पोषण के विकेन्द्रीकरण पर किए गए अध्ययनों की संख्या सीमित है। इसकी मुख्य वजह ग्राम पंचायत के वित्त पोषण (केंद्र और राज्य सरकारों की विविध एजेंसियों के माध्यम से पंचायत तक पहुंचने वाले धन) के विवरण की कमी है। इस अध्ययन के माध्यम से, राजकोषीय प्रवाह के साथ इस प्रवाह से जुड़ी बहु-स्तरीय शासन प्रणाली की प्रक्रिया के कार्यान्वयन के बारे में सूचना प्राप्त करके इस अंतर को कम करने का प्रयत्न किया गया है। इस अध्ययन में हमने अनुसंधान के गहन मापदंडों का इस्तेमाल किया है, जिसमें प्राथमिक और सहायक दोनों तरह के आंकड़े शामिल हैं। हमारे विश्लेषण और सिफारिशें सभी प्रासंगिक हितधारकों के लिए साक्ष्य आधारित और विवरण (डेटा) के माध्यम से व्यावहारिक समाधान का सुझाव देते हैं।

यह अध्ययन भारत में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के लिए ट्रेल ब्लेजर माने जाने वाले कर्नाटक राज्य में किया गया था। इस राज्य ने स्थानीय सरकारों (एलजी) को मजबूत करने के लिए कई सुधारों को लागू किया है। यह अध्ययन कर्नाटक के कोलार जिले की मुलबागल तहसील की 30 ग्राम पंचायतों में किया गया था। इस अध्ययन का मुख्य निष्कर्ष यह है कि राज्य के प्रयासों के बावजूद कर्नाटक में अंतर-सरकारी राजकोषीय हस्तांतरण व्यवस्था इस राज्य के "पंचायतों को प्रभावी ढंग से सौंपा जाए", लक्ष्य पूरा करने के लिए तैयार नहीं है और इस प्रकार से कार्यरत भी नहीं हुई है। कर्नाटक में राजकोषीय विकेन्द्रीकरण की वर्तमान पद्धति, 73वें संशोधन या कर्नाटक पंचायती राज अधिनियम 1993 के अनुसार स्थानीय स्तर पर स्वचालन में तेजी नहीं ला पाई है।

कार्यात्मक और राजकोषीय आवंटन

हमने देखा कि धन नहीं देने के आदेश स्थानीय सरकार के कामकाज में बाधा खड़ी करते थे। कर्नाटक में 29 में से 25 कार्य ग्राम पंचायतों को सौंपे गये हैं, इनमें से केवल तीन कार्यों के लिए ही बजट दिया गया है। इन कार्यों के लिए भी कोई धन आवंटित नहीं किया गया है। राज्य का बजट और जिला क्षेत्र का बजट (जिसमें पंचायतों को आवंटित किया जाने वाला धन भी शामिल है) का अध्ययन दर्शाता है कि पंचायतों को सौंपी गई गतिविधियों को शामिल करने वाली कई योजनाओं को स्थानीय सरकार को सौंपा ही नहीं गया है। इन योजनाओं को या तो राज्य स्तर पर रखा गया है या राज्य और जिला बजटीय व्यवस्था द्वारा उसका प्रतिनिधित्व किया जाता है। नतीजतन, राज्य पंचायत के साथ मिलकर इन परियोजनाओं को लागू कर सकता है।

वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए कर्नाटक का कुल बजट 1,50,379 करोड़ रुपए था। इसमें से स्थानीय प्रशासन (एलजी) के लिए भी 16,240 करोड़ रुपये की राशि रखी गई थी, लेकिन दी नहीं गयी थी। राज्य बजट शीर्ष द्वारा ओवरलैप जिला बजट शीर्ष की राशि 6,357 करोड़ रुपए थी। व्यय के ये दोहरे शीर्ष और पंचायतों को राशि नहीं सौंपना राज्य में विकेन्द्रीकरण में बाधा पहुंचाता है।

सुझाव

• स्थानीय प्रशासन (एलजी) तंत्र और संबंधित विभागों को स्थानीय तंत्र को सौंपी गई गतिविधियों की विभाग वार समीक्षा करना आवश्यक है। इससे, भूमिका स्पष्ट होगी और प्रशासनिक व कार्यान्वयन के प्रयासों का दोहराव नहीं होगा।

• विभागों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि समीक्षा के आधार पर पंचायतों को वित्तीय आवंटन और गतिविधियों के बीच संतुलन होना चाहिए। इसके अलावा, यह सुनिश्चित करना चाहिए कि स्थानीय तंत्र को सौंपी गई कोई भी जिम्मेदारी बिना धन वाली की नहीं हो। इससे सरकार के सभी स्तरों पर जवाबदेही और कार्य निष्पादन पर नजर रखी जा सकेगी।

कर्नाटक में, राज्य के बजट में योजनागत निवेश में पिछले दो दशक में काफी वृद्धि हुई है, जिसके साथ राज्यों द्वारा रखे जा रहे संसाधनों में भी वृद्धि हुई है। कुल बजट के प्रतिशत के रूप में पंचायतों को आवंटित अनुदान में लगातार गिरावट जारी है। जैसे, वित्तीय वर्ष 1991-92 में यह 35 प्रतिशत था, जो वित्त वर्ष 2014-15 में 16 प्रतिशत रह गया। विशेष रूप से इस आवंटन से वेतन और भत्तों को अलग कर दिया जाए (राज्य द्वारा नियुक्त स्टाफ के वेतन के भुगतान को बजट के आवंटन में शामिल नहीं करना चाहिए), तो धन का आवंटन 12 प्रतिशत रह जाता है।

इसके साथ ही पंचायत के समग्र आंवटन में से गैर-योजना आंवटन में वृद्धि हुई है। गैर-योजना आंवटन में मुख्य रूप से जिला पंचायत और तहसील पंचायत के सरकारी कर्मचारियों का वेतन शामिल होता है। कोलार जिला पंचायत के मामले में, कुल आवंटन में यह 54 प्रतिशत है। मुलबागल तहसील पंचायत में यह 74 प्रतिशत है। तथ्य यह है कि (वेतन के अलावा) योजनागत आवंटन में ज्यादातर केंद्रीय और राज्य सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन के साथ जुड़ा आवंटन शामिल होता है। नतीजतन, स्थानीय प्रशासन का वित्तीय क्षेत्र सीमित हो जाता है। उन्हें अपने कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिए और उन कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने के लिए शायद ही आर्थिक स्वतंत्रता होती है। इसके अलावा, पंचायतों को राज्य और केंद्रीय योजनाओं को लागू करने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है।

इस प्रकार, जिला पंचायत और तहसील पंचायत अक्सर नियुक्त सरकारी कर्मचारियों को वेतन भुगतान करने वाली केंद्रीय संस्था के रूप में कार्य करती हैं। जबकि, यह राज्य और केंद्र सरकारों द्वारा शुरू और तैयार की गई योजनाओं का क्रियान्वयन करने वाली संस्था के रूप में कार्य करती है। ये सभी कारक, स्थानीय प्रशासन की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्हें उच्च स्तरीय सरकार पर अधिकाधिक निर्भर बनाते हैं। इतना ही नहीं, जिला स्तर (योजनागत और गैर-योजना दोनों) की विभिन्न योजनाओं के लिए बहुत कम वित्त पोषण का प्रावधान होता है। इससे प्रशासनिक क्षेत्र में कार्यक्षमता का अभाव हो जाता है और हिसाब-किताब के काम का बोझ बढ़ जाता है। वित्तीय वर्ष 2014-15 में कुल योजनाओं में से आधी से अधिक योजनाओं के लिए पांच लाख रु. से कम धन आवंटित किया गया था।

सुझाव

• पंचायतों में विवेकाधीन कोष की मात्रा बेहद कम है। इसलिए, हमारा सुझाव है कि योजना आवंटन की राशि में वृद्धि करनी चाहिए। ऐसा करने से, पंचायतें आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए स्थानीय स्तर पर सुसंगत योजनाएं तैयार कर सकेंगी और उन्हें लागू कर सकेंगी।

• छोटे आवंटन और बड़े आवंटन को एक साथ जोड़कर योजनाओं की कुल संख्या कम करनी चाहिए। ऐसा करने से हिसाब-किताब की जटिलताएं कम होंगी और योजनाओं को स्थानीय स्तर पर लागू करना आसान हो जाएगा।

निष्पादन में राजकोषीय आवंटन के विश्लेषण में पाया गया कि ग्राम पंचायत में किए जाने कुल व्यय का 97 प्रतिशत ग्राम पंचायत के अलावा अन्य संगठनों द्वारा उठाया जाता है, जिनमें राज्य के जिला और तहसील स्तर के विभागीय कार्यालयों तथा अर्ध सरकारी संगठन शामिल हैं।

जब हमें इस व्यय का विवरण मिला, तब हमें पता चला कि वित्त वर्ष 2014-15 में मुलबागल में ग्राम पंचायत के लिए कम से कम औसतन छह करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया था।

व्यय की सत्ता वाले विभाग या संस्थान प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर के खर्च का ब्यौरा नहीं रखते हैं। इसलिए उन्हेें व्यय के लिए जिम्मेदार ठहराना मुश्किल होता है। सरकार के सभी स्तर राजकोषीय प्रवाह की प्रक्रिया, कमजोर वित्तीय योजना और प्रबंधन की ओर इंगित करते हैं। इसके अलावा, स्थानीय स्तर पर आवंटित धन, दिये गये व इस्तेमाल धन का विवरण दर्ज करने के लिए कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं है। इन सभी कारकों के कारण ग्राम पंचायतें, इन संगठनों या विभागों द्वारा इस्तेमाल धन के प्रकार और अनुपात के बारे में जानकारी नहीं रखती। इस प्रकार, ग्राम पंचायतों को जिन परियोजनाओं के लिए सीधे अनुदान प्राप्त होता है, उसके सीमित बजट के अनुरूप ही वे अपने कामकाज को सीमित रखती हैं। सीमित धन के साथ-साथ अन्य संगठनों द्वारा किए गए व्यय की जानकारी के अभाव में, ग्राम पंचायत के पास पर्याप्त सामर्थ्य का अभाव रहता है। इस कारण ग्राम पंचायत कोई ठोस योजना नहीं बना पाती और व्यय के बारे में निर्णय नहीं ले सकती। इसके अलावा, नागरिकों की समस्याओं को हल करने के लिए पंचायत की क्षमता भी सीमित हो जाती है। इस प्रकार, ग्राम पंचायतें प्रभावी ढंग से एक समर्पित स्थानीय प्रशासन बनने की संभावना खो देती हैं।

वित्तीय वर्ष में कार्यक्रमों का क्रियान्वयन

राज्य के विभागों, जिला और तहसील पंचायत में राजकोषीय स्थिति के क्षेत्रों में एक प्रकार की प्रणाली ही देखने को मिलती है। वित्त वर्ष 2015-2016 के लिए अधिकांश धन की निकासी और व्यय अंतिम तिमाही में किया जाता है। इसके अलावा, जिला पंचायत और तहसील पंचायत से अलग सरकारी विभागों को आवंटन और धन देने के आदेश सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध नहीं हैं। यह बात जिला और तहसील के खर्च के व्यापक हिस्से को अपारदर्शी बनाती है।

**राज्य**

वित्त वर्ष 2014-15 में अध्ययन के तहत सभी पांच मुख्य विभागों में साल भर में राज्य के क्षेत्रीय आवंटन का धन देने और व्यय का गैर-योजनागत तरीका देखने को मिला था। अधिकांश धन अंतिम तिमाही में दिया गया था। नतीजतन, अपर्याप्त व्यय हुआ और वर्ष के अंत में धन बिना उपयोग के पड़ा रहा। जैसे कृषि विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग में क्रमश: 41 प्रतिशत और 20 प्रतिशत धन का इस्तेमाल नहीं किया गया। इसके विपरीत, बागवानी विभाग पूरे आवंटित धन का इस्तेमाल किया था। चालू वित्त वर्ष के अंतिम दो महीनों में उसने कुल व्यय का 54 प्रतिशत खर्च किया था।

**कोलार जिला**

वित्त वर्ष 2014-15 में राज्य की सभी पंचायतों के लिए आवंटित कुल धन का दो प्रतिशत कोलार जिला को दिया गया था। इस आवंटन में 54 प्रतिशत धन योजना और गैर-योजना दोनों तरह का वेतन शामिल था। आवंटित 169 करोड़ रुपए में से 95 प्रतिशत धन इस्तेमाल किया गया था। कुल धन का तीन-चौथाई आवंटन वित्तीय वर्ष की पहली दो तिमाहियों में होने के बावजूद, लगभग आधा व्यय अंतिम तिमाही में किया गया था। शेष रही राशि को अक्सर अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण विभाग एवं परिवार कल्याण विभाग में बांट दिया जाता है।

**मुलबागल तहसील**

वित्त वर्ष 2014-15 में मुलबागल तहसील को 72 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। इस आवंटित धन का 74 प्रतिशत योजना और गैर-योजना श्रेणी में इस्तेमाल किया गया था। कुल धन का 93 प्रतिशत आवंटित किया गया था और अधिकांश पैसे का इस्तेमाल कर लिया गया था। जिला स्तर के व्यय की तुलना में, तहसील में साल भर में निधियों को समान रूप से खर्च किया गया था। केवल मार्च 2015 में अपवाद देखा गया था, जब औसतन मासिक व्यय डेढ़ गुना अधिक हुआ था।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि सभी स्तरों पर पंचायतों और विभागों के बीच अंतर-संबंध जटिल हुए हैं। पारदर्शिता, जवाबदेही और कार्यान्वयन पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पंचायतों के साथ ही राज्य की भी जिम्मेदारियां होने के कारण व राजकोषीय आवंटन अधूरा होने के कारण विभागीय कार्यालयों को कई भूमिकाएं निभानी होती है। पंचायत, राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं को सौंपे गए कार्यक्रमों पर वे अमल करते हैं। विभागीय कार्यालय में जवाबदेही (उत्तरदायित्व) के केन्द्रीकरण के अभाव के कारण उत्तरदायित्व का विकेन्द्रीकरण होता है।

इसके अलावा, प्रत्येक विभाग अपने कार्यान्वयन का कामकाज निर्धारित करता है जो हो सकता है कि स्थानीय सरकार के अधिकार क्षेत्र के साथ संबंधित नहीं हो। उदाहरण के लिए, शिक्षा विभाग तहसील स्तर पर स्कूलों के समूह (क्लस्टर स्तर) के लिए उनके प्रशासनिक तंत्र की व्यवस्था करता है, जबकि महिला और बाल कल्याण विभाग उप-तहसील स्तर (हलकों) के लिए प्रशासनिक तंत्र की व्यवस्था करता है। परिणाम स्वरूप प्रशासनिक तंत्र और पंचायत के अधिकार क्षेत्र के बीच एक जटिल स्थिति पैदा हो जाती है। इसलिए, पंचायत स्तर पर विभिन्न विभागों के व्यय की तुलना करना या उसका आवंटन करना बेहद मुश्किल हो जाता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि एक ग्राम पंचायत के कुल खर्च (ऊपरी स्तर) में सरकारी विभागों का योगदान 97 प्रतिशत होता है, उपरोक्त कारक सरकारी खर्च में पारदर्शिता में बाधा उत्पन्न करता है।

निगरानी और डेटा (विवरण) का मापन

डेटा की उपलब्धता की कमी और प्रबंधन का अभाव वित्तीय संसाधनों के विकेन्द्रीकृत प्रबंधन पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। कर्नाटक राज्य ने जिला वार लिंक बुक बनाकर आवंटन में पारदर्शिता सुनिश्चित की है, जिससे केवल जिला और तहसील तक का विवरण प्राप्त किया जा सकता है, पंचायत का नहीं। उल्लेखनीय है कि धन का बजट सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध है, जबकि जिले और तहसील स्तर के आवंटन, धन को सौंपना और राज्य के उच्च विभागों के लिए खर्च का विवरण स्पष्ट नहीं है, और सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा, जिला पंचायत, तहसील पंचायत और उच्च विभाग ग्राम पंचायत स्तर पर आवंटन और खर्च का ब्यौरा नहीं रखते। क्योंकि उन्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है।

कामकाज की दृष्टि से देखते हुए खर्च को ऑनलाइन सिस्टम, डेस्कटॉप, नोटबुक - आदि कई तरीके से दर्ज किया जाता है। जिससे त्रुटि और गड़बड़ी होने की संभावना रहती है। उदाहरण के लिए, हमने ग्राम पंचायत में देखा कि स्थानीय स्तर पर इस्तेमाल धन और ऑनलाइन सिस्टम में दर्ज खर्च के बीच असमानता थी। कामकाज और व्यवस्था की इस असमानता के कारण ग्राम पंचायत और जनता को ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में उपरोक्त विभागों द्वारा किए गए किसी भी खर्च के बारे में जानकारी नहीं होती। इस पूरी स्थिति के कारण जवाबदेही का अभाव देखने को मिलता है।

सुझाव

• ºÉ¦ÉÒ ग्राम पंचायतों, राज्य के उच्च विभागों और अर्ध-सरकारी संगठनों के लिए सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध तथा जिला और तहसील लिंक बुक जैसे लिंक दस्तावेज़ बनाना आवश्यक है। जिससे, सभी क्रियान्वयन संस्थाएं प्रत्येक ग्राम पंचायत को आवंटन का विश्लेषण सुनिश्चित कर सकें। यह जानकारी प्रत्येक वित्तीय वर्ष में पहली अप्रैल को सहायक जानकारी के साथ प्रकाशित की जानी चाहिए।

• वित्त (ट्रेजरी) विभाग की ट्रेज़री व्यवस्था हरेक स्थल के लिए एक अनोखी अद्वितीय स्थान कोड के माध्यम से सभी व्यय के स्थान की जानकारी प्राप्त करवाती है। इससे उस स्थल के भौगोलिक क्षेत्र के भीतर के विभिन्न संगठनों से खर्च के डेटा इकट्ठा करने की संभावना बनी रहती है। सभी ग्राम पंचायतें इन गांवों और बस्तियों का क्लस्टर होता है, इसलिए सभी ग्राम पंचायतों में समेकित खर्च का विवरण तुरंत उपलब्ध हो जाता है। ट्रेज़री व्यवस्था द्वारा दी जाने वाली यह जानकारी सार्वजनिक सूचना प्रणाली के माध्यम से जनता के लिए उपलब्ध करवाई जा सकती है।

• जिले में संस्था द्वारा किया जाने वाला सभी सार्वजनिक खर्च ट्रेज़री (वित्त विभाग) से किया जाना चाहिए। जिस जिला अधिकारी को जिला पंचायत के सचिव के रूप में और सभी विभागों के प्रमुख के रूप में दोहरी भूमिका निभानी हो, तो उसकी जिम्मेदारी वाले सभी लेनदेन के लिए वह जिम्मेदार होगा।

• ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग में विकेंद्रीकृत विश्लेषण प्रकोष्ठ जैसी एक केंद्रीकृत निगरानी इकाई बनाना आवश्यक है। इस इकाई का कार्य ट्रेज़री (वित्त विभाग) से ग्राम पंचायत के व्यय की मासिक रिपोर्ट प्राप्त करके उसे सार्वजनिक करना होना चाहिए। साथ ही, इस इकाई को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संबंधित जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायतों तक यह रिपोर्ट पहुंचाए। ऐसा करने से ऐसी व्यवस्था तैयार होगी, जिसमें जिला पंचायत और तहसील पंचायत अपने आपको ग्राम पंचायत के लिए सूचना प्रदान करने वाली संस्था मानेगी। इसके अलावा, ग्राम पंचायत ग्राम सभा तक ऐसी जानकारी पहुंचा सकेगी, जिससे ग्राम पंचायत स्तर का सभी सरकारी खर्च सार्वजनिक जांच के लिए उपलब्ध होगा।

• +É´ÉÆ]õxÉ और खर्च से सम्बन्धित कार्यान्वयन पर प्रगति रिपोर्ट जिला, तहसील और राज्य के उच्च विभागों द्वारा तिमाही प्रकाशित की जानी चाहिए। इससे, राज्य, नागरिकों और कर्मचारियों में जवाबदेही और स्पष्टता सुनिश्चित होगी।

उपरोक्त सुझावों को कार्यान्वित करने से ग्राम पंचायत के किसी भी विभाग द्वारा किए गए खर्च का विवरण सुनिश्चित किया जा सकेगा। इस प्रकार, इस वित्तीय प्रवाह की बेहतर समझ प्राप्त की जा सकेगी। धन के आवंटन में पारदर्शिता बढ़ने से स्थानीय स्तर पर जनता की भागीदारी बढ़ाई जा सकती है।

संक्षेप में, कर्नाटक राज्य में अपर्याप्त सार्वजनिक संसाधनों का प्रभावी ढंग से, पारदर्शी और समावेशी उपयोग सुनिश्चित करने के लिए राज्य में विकेन्द्रीकरण की भूमिका, प्रक्रियाओं और प्रणालियों की तत्काल समीक्षा करने की जरूरत है। साथ में यह भी नोट करना आवश्यक है कि कर्नाटक में विकेन्द्रीकरण की स्थिति के बारे में हमारे निष्कर्ष कर्नाटक तक ही सीमित नहीं हैं। यह सिफारिश की जाती है कि देश के अन्य राज्यों के हितधारक इन परिणामों तथा शोध के सुझावों को गंभीरता से लें और अपने राज्यों में विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं।

**अकाल पर स्वराज अभियान की जनहित याचिका (पीआईएल) पर सर्वोच्च न्यायालय का आदेश, 13 मई 2016**

अकाल (सूखे) की घोषणा

सूचना पुस्तिका को अद्यतन करते समय केंद्र सरकार को अन्य बातों के साथ निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए:

(1) 2015 की W.P. (C) संख्या 857 के पेज संख्या 49 से 53 में दर्शाए चार महत्वपूर्ण कारकों को यथासंभव महत्व देना होगा। पुस्तिका में बारिश की कमी सबसे महत्वपूर्ण कारक होने के बावजूद, यह पता चला है कि राज्य सरकारें बारिश की कमी को नहीं बल्कि कुल कृषि योग्य जमीन में से बुवाई की गई जमीन को अधिक महत्व दे रही हैं। इसलिए, प्रत्येक महत्वपूर्ण कारक को पर्याप्त महत्व देना आवश्यक है।

(2) अकाल की घोषणा करने की समय सीमा की जानकारी सूचना पुस्तिका में दी जानी चाहिए। सूचना पुस्तिका में यह भी कहा गया है कि अक्टूबर महीना अकाल की घोषणा के लिए सबसे उपयुक्त समय है, तथापि, प्राप्त जानकारी के अनुसार कुछ राज्यों ने नवंबर और दिसंबर में अकाल की घोषणा की और गुजरात के मामले में तो अकाल की घोषणा अगले वर्ष अप्रैल में की गई थी। यह घोषणा में अत्यधिक देरी है। अकाल की घोषणा में इतनी देरी के असर और इसके प्रभाव का उल्लेख सूचना पुस्तिका में किया गया है और उसे दोहराने की जरूरत नहीं है। इसलिए, इसकी समय पर घोषणा करना आवश्यक है।

(3) संशोधित और अद्यतन सूचना पुस्तिका में अकाल की घोषणा और उससे संबंधित महत्व के बारे में उदारतापूर्वक सभी संभावित कारकों को दर्शाना चाहिए। हरियाणा ने उपरोक्त दर्शाए कई कारकों को शामिल किया है। इसी तरह, बिहार ने बारहमासी नदियों जैसे कई कारकों को शामिल किया है। तो गुजरात ने मिट्टी के प्रकार जैसे कारकों को शामिल किया है। हम जानते हैं कि विशिष्ट मानदंडों और गणना पद्धति का निर्धारण करना मुश्किल हो सकता है, तब अकाल की घोषणा करने से मना करने के लिए राज्यों को सक्षम करने की सुविधाओं में कमी करना चाहिए। यह कदम अकाल या अकाल के कारण मुसीबतों का सामना करने वाले लोगों के हित में होगा।

(4) अकाल की घोषणा करने या अकाल की घोषणा नहीं करने की पद्धति पर ध्यान देना चाहिए और परिभाषा को मानकों के अनुरूप होना चाहिए।

केंद्र सरकार को अकाल या अकाल जैसी स्थिति पर शीघ्र निर्णय लेने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग पर जोर देना चाहिए। इसके लिए संस्थागत तरीकों और संस्थागत विरासत का अनुसरण करने वाली पुस्तिकाओं का उपयोग जारी रखने की जरूरत नहीं है। राज्य सरकारों के लिए भी तकनीक की व्यापक क्षमता का उपयोग करने का समय आ गया है और केंद्र सरकार को भी आपद काल के लिए राज्य प्रबंधन योजना तैयार करने के लिए इस तरह की तकनीक के इस्तेमाल पर जोर देना चाहिए।

**अकाल की सूचना पुस्तिका**

अकाल प्रबंधन सूचना पुस्तिका अर्थपूर्ण और अनुसंधान वाला दस्तावेज है। हालांकि, पार्टियों के विद्वान सलाहकारों द्वारा हमारे समक्ष पेश की गई प्रस्तुति के बारे में हमारा मत है कि सूचना पुस्तिका 2009 में प्रकाशित की गई थी और उसके बाद काफी गतिविधियां हुई हैं। इसलिए, सूचना पुस्तिका की लिखित सामग्री में सुधार की जरूरत महसूस की गई है। हमने 31 दिसंबर, 2016 तक पुस्तिका को अद्यतन करके और नवीनतम जानकारी के साथ तैयार करने के निर्देश दिए हैं।

प्रस्तावित संशोधन और नवीनतम जानकारी के साथ इस सूचना पुस्तिका में और राष्ट्रीय योजनाओं में (अकाल के संदर्भ में) तैयारियों, रोकथाम और समस्या को कम करने के लिए भावी योजना बनानी चाहिए।

जल संग्रह, जल संचय (भू-जल सहित) जल उपयोग के नए तरीकों पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए और इस गतिविधि में इस क्षेत्र के विशेषज्ञों को भी शामिल करना चाहिए। अन्य तकनीकों के साथ बंजर भूमि पर खेती, जल भंडारण, ड्रिप सिंचाई आदि जैसी पद्धतियों पर विचार किया जा सकता है

अकाल से संबंधित मामलों पर कार्रवाई करते हुए सूचना पुस्तिका में सुधार और संशोधन करते समय क्रमश: राज्य सरकारों और केंद्र सरकार को प्रभावित क्षेत्रों से पलायन, आत्महत्या, समस्याओं, महिलाओं और बच्चों की दुर्दशा आदि जैसे मानवीय कारकों को ध्यान में रखना चाहिए।

आपदा प्रबंधन अधिनियम का कार्यान्वयन

**आपदा आंकलन और संकट प्रबंधन पर राष्ट्रीय योजना**

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 11 के अनुसार आपदा की स्थिति में आपदा के आंकलन, आपदा प्रबंधन और संकट के प्रबंधन के बारे में एक राष्ट्रीय योजना बनाने की जरूरत है। कार्य पद्धति दस्तावेज तैयार होने के बावजूद पिछले दस वर्षों में इस तरह की राष्ट्रीय योजना तैयार नहीं की गई है। राष्ट्रीय योजना तैयार करने में समय लगना समझ में आता है, लेकिन दस वर्ष की अवधि काफी लंबी है। हमने केन्द्र सरकार (भारत संघ) को आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 11 को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं।

**आपदा शमन कोष**

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 47 के अनुसार राष्ट्रीय आपदा शमन कोष स्थापित करना आवश्यक है। दुर्भाग्य से, इस तरह के किसी भी कोष का गठन नहीं किया गया है। इसीलिए 2015 की W.P. (C) संख्या 857 के पेज संख्या 48 से 53 में केन्द्र सरकार (भारत संघ) को आज से तीन महीने के भीतर राष्ट्रीय आपदा शमन कोष स्थापित करने के निर्देश दिए हैं।

**आपदा प्रतिक्रिया बल**

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 44 के अनुसार अपने नियमित विशेषज्ञ कैडर के साथ राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की रचना करना आवश्यक है। अब तक इस तरह के किसी भी बल का गठन नहीं किया गया है। इसलिए, हमने आज से छह महीने की अवधि के भीतर केंद्र सरकार को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का गठन करने के लिए कहा है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल को प्रशिक्षित किया जाएगा और सूखे जैसी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार किया जाएगा।

**राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए)**

राज्य सरकारों को इस प्रकार निर्देश दिए जाएं: सभी परिवार को (भले ही वे परिवार प्राथमिकता की श्रेणी में आते हों या नहीं) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अनुसार मासिक खाद्य प्राप्य अधिकारों की गारंटी दी जाए।

इसके साथ ही, इसके कारण राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मासिक अधिकार प्राप्त करने के लिए राशन कार्ड होना आवश्यक नहीं है। खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए राशन कार्ड के बदले पहचान और निवास का समुचित प्रमाण रखा जा सकता है।

प्रत्येक राज्य में आज से एक माह के भीतर एनएफएस अधिनियम की धारा 14 के अनुसार, एक आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र खड़ा करना होगा। धारा 15 के अनुसार प्रत्येक जिले में जिला शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त किया जाएगा।

प्रत्येक राज्य को एनएफएस अधिनियम की धारा के अनुसार (राज्य खाद्य आयोग की रचना न की गई हो तो) आज की तारीख से एक महीने के भीतर एनएफएस अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी और उसकी समीक्षा करने के लिए राज्य खाद्य आयोग का गठन किया जाएगा।

**मध्याह्न भोजन (मिड-डे मिल्स)**

मध्यान्ह भोजन योजना के बारे में अदालत ने राज्यों को बालकों के हित में (आदेश जारी होने से यानी 13 मई 2016 से एक सप्ताह के भीतर) मध्यान्ह भोजन योजना को स्कूल में गर्मी की छुट्टियों के दौरान भी जारी रखने का आदेश दिया था।

अदालत ने राज्यों को सप्ताह में पांच दिन या कम से कम तीन दिन अंडे या दूध या अन्य पौष्टिक खाद्य पदार्थ देने का प्रावधान करने के लिए आदेश दिया था।

**महात्मा गांधी नरेगा**

1. राज्य सरकारों को यथार्थवादी बजट पेश करना चाहिए। सक्षम समिति को बजट पर व्यावहारिक रूप से विचार करना चाहिए। इस प्रक्रिया के बाद राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के बीच कार्यक्रमों के तहत धन आवंटन के लिए अनावश्यक विवाद टलेगा।

2. भारत सरकार को इस योजना के तहत राज्य सरकारों को समय पर ढंग से पर्याप्त धन की आपूर्ति करने को कहा गया है, ताकि श्रमिकों को समय पर अपनी मजदूरी मिल सके। अफसोस की बात यह है कि 2015-16 के बाकी बिलों का भुगतान इस याचिका की लंबित अवधि के दौरान किया गया था। भारत सरकार को इस संबंध में कार्रवाई करनी चाहिए।

3. भारत सरकार को नरेगा अधिनियम की अनुसूची 2 के परिशिष्ट-29 के अनुसार मुआवजे के दिशा-निर्देशों के अनुसार जिनके वेतन के भुगतान में 15 दिनों से अधिक का समय लगा हो, उन श्रमिकों को भुगतान में विलंब के लिए मुआवजा देना सुनिश्चित किया जाए।

4. राज्य सरकारों और भारत की सरकार को यह आदेश दिया गया है कि जरूरतमंद व्यक्ति आगे आकर योजना का लाभ लें, इसके लिए उन्हें प्रोत्साहन देने के प्रयास किए जाएं। सफलता की दर 50 प्रतिशत से कम है तो इसके बारे में गर्व करने जैसी कोई बात नहीं है।

5. केंद्र सरकार को नरेगा अधिनियम की धारा 10 के तहत जल्दी से केंद्रीय रोजगार गारंटी परिषद गठन करने के लिए कहा गया है। किसी भी परिस्थिति में, आज से अधिकतम 60 दिन के भीतर केंद्रीय रोजगार गारंटी परिषद का गठन होना ही चाहिए।

6. भारत सरकार को यह सूचित किया गया है कि राज्य सरकारों को आज से 45 दिन के भीतर धारा 12 के तहत राज्य रोजगार गारंटी परिषद की स्थापना के लिए अनुरोध किया जाएगा। अगर केन्द्र सरकार और राज्य सरकारें निगरानी और समीक्षा करने वाले इन प्राधिकरणों की तुरंत स्थापना नहीं करेंगी, तो इसके बिना नरेगा अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करना संभव नहीं है।

7. नरेगा अधिनियम समाज कल्याण और सामाजिक न्याय से संबंधित

कानून है, इसलिए केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी संबंधित विभाग आत्मविश्वास से इसके प्रावधानों का कार्यान्वयन करे।

गतिविधियाँ

राष्ट्रीय दलित मानवाधिकार अभियान के पत्र

प्यारे मित्रो,

जय भीम!

हाल ही में नीति आयोग ने जनजाति मामलों के मंत्रालय और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को जनजातीय उप-योजना (टीएसपी) और अनुसूचित जाति उप-योजना (एससीएसपी) को कार्यान्वयन की निगरानी और समीक्षा करने में असमर्थता लिखित में व्यक्त की थी। हम सभी जानते हैं कि एससीएसपी और टीएसपी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास के लिए महत्वपूर्ण नीतियां हैं। यह अनुसूचित जाति - जनजाति और देश की अन्य आम जनता के बीच की दूरी को दूर करने में भूमिका निभाता है। इसलिए, नीति आयोग दलित और आदिवासी बजट पर से ध्यान हटा रहा है, उसी तरह दलित और आदिवासी बजट के लिए महत्वपूर्ण आदेश को लागू करने के लिए आवश्यक व्यवस्था किए बिना अपने दायित्वों को छोड़ना एक गंभीर चिंता का विषय है।

जनजातीय उप-योजना (टीएसपी) और अनुसूचित जाति उप-योजना (एससीएसपी) की देखरेख और समीक्षा के लिए पहले भारतीय योजना आयोग जिम्मेदार था। लेकिन योजना आयोग को भंग करने के बाद 1 जनवरी, 2015 कैबिनेट के संकल्प के अनुसार नीति आयोग का गठन किया गया था। नीति आयोग के संविधान में इस आदेश के बारे में जो विवरण दिया गया है, वह राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों को विकसित करने पर जोर देता है। जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का विकास भी शामिल है। एससीएसपी-टीएसपी की निगरानी और समीक्षा की जिम्मेदारी तब के योजना आयोग की थी, जिसे बाद में नीति आयोग को सौंप दिया गया था। अब, डेढ़ साल बाद नीति आयोग एससीएसपी - टीएसपी की अपनी जिम्मेदारियों को संबंधित मंत्रालयों को सौंप रहा है जो चिंता का विषय है।

हमारा अनुरोध है कि आप नीति आयोग के अध्यक्ष, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके समक्ष अपील करके नाराजगी व्यक्त करके एक व्यापक कानून की मांग करें। यह व्यापक कानून एससीएसपी और टीएसपी के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए स्थायी प्रणाली सुनिश्चित करता है और संबंधित मंत्रालयों को व्यवस्था की निगरानी और समीक्षा करने में सक्षम बनाता है।

नीति आयोग के अध्यक्ष को भेजे गए पत्र की कॉपी आपके संदर्भ के लिए साथ में दी गई है।

जय भीम सहित,

विमल थोराट, एन. पॉल दिवाकर, आशा कोतवाल, वी. रमेश नाथन

राष्ट्रीय दलित मानवाधिकार अभियान

नीति आयोग को लिखा पत्र

सेवा में,

अध्यक्ष

नीति आयोग, नई दिल्ली

माननीय अध्यक्ष महोदय,

हम (अधोहस्ताक्षरी), बदलते भारत के लिए राष्ट्रीय संस्थान (नीति) आयोग और जनजातीय मामलों के मंत्रालय और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के बीच हाल में हुए पत्राचार से चिंतित हैं। इस पत्राचार के अनुसार, नीति आयोग ने जनजातीय उप-योजना (टीएसपी) और अनुसूचित जाति उप-योजना (एससीएसपी) कार्यान्वयन की समीक्षा और निगरानी करने में अपनी अक्षमता व्यक्त की है और अब इस कार्य की जिम्मेदारी दोनों मंत्रालयों को अपने ऊपर लेने को कहा है। एससीएसपी- टीएसपी के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक मजबूत तंत्र का सुझाव देने के बजाय इन दायित्वों को संबंधित मंत्रालयों को सौंप देना और समाज के महत्वपूर्ण वर्ग की ओर से अपनी जिम्मेदारी का परित्याग करके हाथ उठा देना, हमारी राय में नीति आयोग की लापरवाही इंगित करता है।

इकोनॉमिक टाइम्स समाचार पत्र में 1 मई, 2016 को प्रकाशित पत्र के अनुसार नीति आयोग का आदेश (जनादेश) तब के योजना आयोग की तरह कोई पांच साल की योजना नहीं है। नीति आयोग ने अनुसूचित जाति उप-योजना (एससीएसपी) और आदिवासी उप योजना (टीएसपी) के तहत दलित और आदिवासी बजट के आवंटन, कार्यान्वयन और इसकी निगरानी आदेश (जनादेश) में परिवर्तन प्रस्तावित किए हैं।

जनजातीय उप-योजना (टीएसपी) और अनुसूचित जाति उप-योजना (एससीएसपी) की देखरेख और समीक्षा के लिए पहले भारतीय योजना आयोग जिम्मेदार था। लेकिन योजना आयोग को भंग करने के बाद 1 जनवरी, 2015 कैबिनेट के संकल्प के अनुसार नीति आयोग का गठन किया गया था। नीति आयोग के संविधान में इस आदेश बारे में जो विवरण दिया गया है, वह राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों को विकसित करने पर जोर देता है। जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का विकास भी शामिल है। एससीएसपी-टीएसपी की निगरानी और समीक्षा की जिम्मेदारी तब के योजना आयोग की थी, जिसे बाद में नीति आयोग को सौंप दिया गया था। अब, डेढ़ साल बाद नीति आयोग एससीएसपी - टीएसपी की अपनी जिम्मेदारियों को संबंधित मंत्रालयों को सौंप रहा है, जो चिंता का विषय है।

नीति आयोग का यह कदम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए संवैधानिक प्रावधानों और अधिकारों को नुकसान पहुंचाता है, जिसका उस समुदाय पर नकारात्मक असर पड़ेगा।

इस गंभीर परिस्थिति में, नीति आयोग ने आदिवासी मामलों के मंत्रालय और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को और एससीएसपी और टीएसपी के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक अधिकारों और संसाधनों वाले केंद्रीकृत प्राधिकरण (प्राधिकरण) के रूप में स्थापित करके इन दोनों मंत्रालयों के भीतर इकाई गठित करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अगर ऐसा नहीं हो, तो न सिर्फ नीति आयोग, बल्कि पूरी सरकार उपेक्षित समुदायों को विकास से दूर रखने के लिए जिम्मेदार होगी। इन मंत्रालयों को अभी तक एससीएसपी और टीएसपी की समीक्षा करने और कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त अधिकार नहीं सौंपे गए हैं।

संबंधित मंत्रालयों के लिए ऊपर बताए अनुसार आवश्यक प्रावधानों के द्वारा एससीएसपी और टीएसपी के कार्यान्वयन के लिए व्यापक कानून के द्वारा ऐसा किया जा सकता है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने एक मसौदा तैयार किया है, जिसके लिए जनता और अंतर-मंत्रालयी सलाह ली गई है।

इसलिए, यह अनुरोध है कि आप इस गंभीर मामले पर ध्यान देकर निम्न कार्यवाही के लिए तत्काल कदम उठाएं:

1. आवश्यक संस्थागत और प्रशासनिक संसाधनों के साथ अनुसूचित जाति उप योजना और जनजातीय उप योजना बनाना।

2. जनजातीय मामलों के मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता और केंद्रीय प्राधिकरण प्रभावी ढंग से एससीएसपी और टीएसपी पर निगरानी रख सकें, उनकी समीक्षा कर सकें, इसके लिए उन्हें आवश्यक मानव संसाधन और वित्तीय संसाधन प्रदान करने चाहिए।

साभार,

विमल थोराट, संयोजक,

राष्ट्रीय दलित मानवाधिकार अभियान

एन. पॉल दिवाकर, महासचिव,

दलित आर्थिक अधिकार आंदोलन

आशा कोटवाल, महासचिव,

अखिल भारतीय दलित महिला अधिकार मंच

वी. रमेश नाथन, महासचिव,

राष्ट्रीय दलित न्याय आंदोलन

प्रतिलिपि: श्री अरविंद पानगढ़िया, उपाध्यक्ष, नीति आयोग

स्कूल विकास योजना (एसडीपी) पर प्रशिक्षण

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के आदेश के अनुसार, स्कूल प्रबंधन और स्कूलों के निष्पादन पर नजर रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्कूलें आरटीई के दिशा-निर्देशों के मापदंड का पालन करें, प्रत्येक स्कूल में एक स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी) होना आवश्यक है। प्रत्येक एसएमसी को वार्षिक स्कूल विकास योजना (एसडीपी) तैयार करनी चाहिए। एसडीपी स्कूल के हर पहलू को कवर करने वाला व्यापक दस्तावेज होता है। इसमें स्कूलों के समुचित कार्य, भौतिक संरचना, स्कूलों तक पहुंच आदि शामिल हैं। बिहार में एसएमसी को स्कूल शिक्षा समिति (वीएसएस) के रूप में जाना जाता है। वीएसएस में 75 प्रतिशत सदस्य स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के अभिभावक हैं। बाकी सदस्य शिक्षकों और पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के प्रतिनिधि हैं।

वीएसएस के सदस्यों के साथ चर्चा करने के दौरान एआईपीएडी टीम को पता चला कि वीएसएस की रचना होने के बावजूद यह समिति काम नहीं कर रही थी और उसके सदस्य अपनी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों से पूरी तरह अवगत नहीं थे। स्कूल विकास योजना (एसडीपी) तैयार करने के लिए वीएसएस के सदस्य सरकारी स्कूल के शिक्षकों पर निर्भर थे, जिससे एसडीपी तैयार करने की प्रक्रिया एक तरफा बन गयी थी।

वीएसएस के सदस्यों में कौशल के क्षेत्र में प्रचलित इस असमानता को दूर करने के लिए आईएपीएडी द्वारा डीआइईटी भवन, भागलपुर में 13 दिसंबर, 2015 को एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया था। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन डीआइईटी, भागलपुर के प्राचार्य और डीईओ द्वारा किया गया। 80 से अधिक प्राचार्यों और वीएसएस के सदस्यों ने इस प्रशिक्षण में भाग लिया था।

जिला शिक्षा अधिकारी ने एसएमसी का परिचय दिया था। उन्होंने कहा कि, 'स्कूल प्रबंधन समिति और उसके कार्यक्रम पहुंच और बुनियादी ढांचे के विकास, हक, गुणवत्ता और समुदाय की भागीदारी जैसे चार स्तंभों पर आधारित होने चाहिए।'

डीआइईटी के प्राचार्य ने कहा कि, 'योजना आरटीई अधिनियम, 2009 की अनुसूची में उल्लेखित मानदंडों पर केंद्रित होनी चाहिए। यह योजना सर्व शिक्षा अभियान/अन्य सरकारी योजनाओं के तहत, स्कूल में मौजूद भौतिक सुविधाओं में असमानता पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए और समुदाय की भागीदारी के माध्यम से धन उपलब्ध होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि, 'एसएमसी की भूमिका स्कूल के निष्पादन की व्यवस्था करवाने, उस पर ध्यान रखना और स्कूल के कामकाज में स्कूल को सहायता प्रदान करना है। इसके साथ ही एसएमसी यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है कि स्कूल आरटीई अधिनियम के तहत जरूरी आवश्यकताओं को पूरा करे।

प्रत्येक स्कूल विकास योजना (एसडीपी) में निम्नलिखित क्षेत्र शामिल करने होंगे:

**स्कूल तक पहुंच** - क्या स्कूल समुदाय के प्राथमिक आयु वर्ग के सभी बच्चों (प्राथमिक) के लिए एक कि.मी. के भीतर और (उच्च प्राथमिक के लिए) 3 किमी के अंदर स्थित है?

**स्कूल में प्रवेश** - क्या स्कूल में समुदाय के 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों का प्रवेश हो गया है?

**भौतिक बुनियादी ढांचा** - स्कूल को प्रभावी ढंग से कार्यरत होना सुनिश्चित करने के लिए क्या स्कूल में उचित बुनियादी ढांचा है (पर्याप्त प्रकाश के साथ कक्षा, मध्याह्न भोजन तैयार करने के लिए कमरे और लड़कों व लड़कियों के लिए अलग शौचालय, शिक्षण सामग्री सहित)?

**शिक्षक** - क्या आरटीई के 1: 30-35 अनुपात का पालन करने के लिए स्कूल में पर्याप्त शिक्षक हैं? क्या शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त हैं?

सत्र के अंत में, सभी प्रतिभागियों को एसएमसी की भूमिका और कार्यों पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए चार समूहों में विभाजित किया गया था।

हितधारकों की राय

'मेरा नाम सुनैना देवी। मैं सलेहपुर गांव में रहती हूं। मेरी उम्र 40 वर्ष है और मेरे चार बच्चे हैं। मेरे पति मजदूर थे। दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। मेरे पति की मृत्यु के बाद मेरे परिवार को कई आर्थिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा। जिनके कारण मैंने अपने बच्चों को स्कूल छुड़वा दी। इसके बाद मैंने एआईपीएडी जागरूकता बैठक में भाग लिया और मुझे राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के बारे में पता चला और यह पता चला कि मुझे इस योजना का लाभ मिल सकता है। एआईपीएडी टीम की मदद से मैंने आरटीजीएस काउंटर पर अपने दस्तावेज़ जमा करवा दिए। 30 दिनों में मेरे बैंक खाते में (धन आवंटन के तहत) 20,000 रु. की राशि जमा हो गई। अब, मेरे बच्चों को पढ़ाने और उन्हें खिलाने व उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए मैं इस राशि का इस्तेमाल कर रही हूँ।'

**- राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना**

'मेरा नाम सविता देवी है। मैं जुकुसिया गांव में रहती हूं। मेरा परिवार बहुत गरीब है। सरकार की योजनाओं के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं थी। मैंने एक बार मेरे गांव में एआईपीएडी टीम द्वारा बुलाई गई एक समुदाय बैठक में भाग लिया। वहाँ मुझे पता चला कि मुझे मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लाभ मिल सकता है। यह योजना बीपीएल परिवारों की विवाहित महिलाओं के लिए है और उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए मैंने एआईपीएडी टीम से पूरी जानकारी प्राप्त की। उन्होंने मेरा बैंक खाता खोलने में मेरी मदद की और छह महीने के भीतर इस योजना के 5,000 रुपए मिल गए।'

**- मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना**

श्रद्धांजलि

तृप्ति शाह **(1961-2016)**

महिला आंदोलन, पर्यावरण के सवालों और न्याय की लड़ाई के लिए उठने वाली आवाज हमेशा के लिए थम गयी है। शोषण, अन्याय और हिंसा के पीड़ितों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहने वाली तृप्ति शाह को भावभीनी विदाई।

फेफड़ों के कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से आखिरी सांस तक लड़ने वाली तृप्ति शाह (54 वर्ष) ने 26 मई, 2016 को हमारे बीच से चिर विदाई ली।

प्रशिक्षित अर्थशास्त्री तृप्तिबहन ने महिलाओं के मुद्दों और विकास, पर्यावरण, जातीय संघर्ष, जाति, मजदूरी एवं मानव अधिकारों से संबंधित मुद्दों के संदर्भ में महिलाओं की समस्याओं के निवारण की गतिविधियों को जीवन का मुख्य उद्देश्य बनाया था।

तृप्तिबहन के पिता ठाकोरभाई शाह मजदूर संगठन (लेबर यूनियन) के जाने-माने नेता थे और माता सूर्यकांत शाह सार्वजनिक जीवन में सक्रिय थी, इसलिए वे बहुत कम उम्र में लोगों के अधिकारों के आंदोलनों में शामिल हो गई थी।

तृप्तिबहन हमेशा कहती थी कि उसे आंदोलन कार्यकर्ता बनने के लिए माता-पिता ने प्रेरित किया था। उनके ही शब्दों में, 'किसी भी तरह का अन्याय बर्दाश्त नहीं करना चाहिए' यह जुनून मुझे अपने पिता से विरासत में मिला था, जिन्होंने एक पत्रकार के रूप में कैरियर का त्याग करके अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए गांधीवादी विचारधारा को अपनाया। वे मार्क्सवादी-ट्रोटस्कवादी और मजदूर नेता बन गये। मैं मेरे पिता और साम्यवादी समूह (कम्युनिस्ट लीग) के अन्य युवा कामरेडों के साथ 70 के दशक में गुजरात में हुए अधिकांश आंदोलनों की गवाह रही और कई आंदोलनों में भी भाग लिया। महिलाओं के आंदोलन में मेरे शामिल होने की बुनियाद इन अनुभवों में ही रही है।

तृप्तिबहन को जन आंदोलन का पहला अनुभव 1973 में केवल 11 वर्ष की आयु में ही हो गया था। वडोदरा में दूध की कीमतों में एक रुपये की वृद्धि के खिलाफ विरोध दर्ज कराने के लिए कीमत वृद्धि विरोधी आंदोलन में वयस्कों के साथ भाग लेने के लिए अन्य पांच लड़कियों के साथ तृप्तिबहन को राज्य बाल गृह में पांच दिनों तक हिरासत में रखा गया। इसके कुछ समय बाद उन्होंने नव निर्माण आंदोलन और आपातकाल विरोधी आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। इस प्रकार, तृप्तिबहन विद्यार्थी काल से ही महिलाओं के आंदोलन से जुड़ी थी है, जो उनका जीवन कार्य बन गया।

18 वर्ष की आयु में तृप्तिबहन फोर्थ इंटरनेशनल की भारतीय शाखा, कम्युनिस्ट लीग में सक्रिय हो गई। फोर्थ इंटरनेशनल दुनिया भर में स्वायत्त महिलाओं के आंदोलन का समर्थन करने वाली लीग है। कम्युनिस्ट लीग के प्रमुख कार्यकर्ता डॉ. विभूति पटेल स्वायत्त महिलाओं के आंदोलन में तृप्तिबहन के संरक्षक बन गये। युवा तृप्तिबहन के मन पर और महिलाओं के अधिकारों के लिए उनके काम पर विख्यात समाजशास्त्री और नारीवादी डॉ. नीरा देसाई का गहरा प्रभाव पड़ा।

मथुरा बलात्कार के मामले पर कार्यवाही फिर से शुरू के लिए राष्ट्रव्यापी आंदोलन के परिणामस्वरूप बलात्कार से संबंधित कानूनी प्रावधानों में सुधार की मांग प्रबल हुई, तब तृप्तिबहन वडोदरा में बनी महिला विरोधी शोषण समिति में शामिल हुई। जेंडर (लिंग) पर आधारित महिलाओं के खिलाफ हिंसा के प्रति राजनीतिक नेताओं में प्रचलित उदासीनता से विचलित होकर उन्होंने एक प्रतिनिधि के रूप में 1980 में मुंबई में आयोजित स्वायत्त महिला आंदोलन की पहली बैठक में भाग लिया। तृप्तिबहन को वडोदरा में महिलाओं के अधिकारों के लिए आंदोलन के मद्देनजर कुछ नया शुरू करने की जरूरत महसूस हुई। उनके अनुसार, 'वडोदरा में महिलाओं के सर्वोच्च हितों को प्राथमिकता देने वाले स्वायत्त महिला संगठन बनाना आवश्यक है। इसके बाद तृप्तिबहन ने बाकी का जीवन ऐसा संगठन बनाने के सतत प्रयासों में बिताया।

आखिरकार समान सोच रखने वाले दोस्तों और वर्षों के प्रयत्न के परिणामस्वरूप सहियर (महिला संगठन) की शुरूआत हुई। सहियर 1984 में बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय द्वारा शुरू की गई पहल थी। महिलाओं द्वारा और महिलाओं के लिए कार्यरत इस संगठन का उद्देश्य अन्याय और अत्याचार से मुक्त समाज बनाना था। ऐसा समाज, जिसमें महिलाओं को एक इंसान के रूप में बराबर का दर्जा और मान्यता मिले। सांप्रदायिक ताकतों और रूढ़िवाद को अस्वीकार करके समानता और भेदभाव रहित सिद्धांत जल्दी ही सहियर की सभी क्रांतिकारी पहल का केंद्र बन गये।

सहियर (महिला संगठन) वडोदरा स्थित नारीवादी संगठन है। तृप्तिबहन इसके संस्थापक सदस्यों में से एक थी। सहियर (महिला संगठन) महिलाओं के अधिकारों के लिए काम करता है और समाज में महिलाओं के मुद्दों के बारे में जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रहा है। तृप्तिबहन संगठन की ओर से नुक्कड़ नाटक, कार्य शिविरों (कार्यशालाओं) के आयोजन, प्रशिक्षण का आयोजन, सहभागितायुक्त अनुसंधान और प्रकाशनों जैसे जागरूकता संबंधी कार्यों के साथ जुड़ी हुई थी। इसके अलावा वे महिलाओं और किशोरियों को मार्गदर्शन प्रदान करती थी तथा उन्हें कानूनी सहायता प्रदान करती थी।

तृप्तिबहन का कार्य सिर्फ महिलाओं के मुद्दों तक सीमित नहीं था। महिलाओं के मुद्दों के अलावा, उन्होंने पर्यावरण, नागरिक स्वतंत्रता, मानवाधिकार, समानता और अन्य मुद्दों पर भी काम किया था।

तृप्तिबहन विद्यार्थी जीवन से ही विभिन्न सामाजिक/स्वैच्छिक संगठनों के साथ जुड़ी हुई थी। इन संगठनों के माध्यम से उन्होंने कई सामुदायिक कार्यों और सामाजिक जागरूकता के कार्यों को हाथ में लिया था।

ऐसा ही एक संगठन पर्यावरण सुरक्षा समिति (पीएसएस) है। यह संगठन पर्यावरण के अधिकारों और पर्यावरण के प्रति जागरूकता के क्षेत्र में काम कर रहा है। इसके अलावा, जमीन हड़पने और विकास के नाम पर निजीकरण के लिए पर्यावरण को पहुंचाने वाले नुकसान और आदिवासियों के पलायन का अध्ययन और जानकारी प्राप्त करने में (पीएसएस से जुड़े) तृप्तिबहन ने अपने अनुसंधान और विश्लेषणात्मक कौशल का परिचय दिया था। पर्यावरण की समस्याओं को समझने के लिए उनके समावेशी और समग्र दृष्टिकोण ने कानूनी कार्यवाही करने में मदद की थी।

तृप्तिबहन पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पीयूसीएल) और रेडिकल सोशलिस्ट के साथ भी जुड़ी हुई थी।

तृप्तिबहन ने महिलाओं के अधिकारों के आंदोलन के लिए अपनी विशेषज्ञता और संवेदनशीलता का उपयोग नर्मदा बांध के निर्माण के समय हुए आंदोलन, मीठी-वीरडी में परमाणु विरोधी प्रदर्शनों, औद्योगिक प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई, 2002 में गुजरात में मानव नरसंहार, सरकार के झुग्गी विध्वंस अभियान के खिलाफ किया था। इसके साथ ही गुजरात में एकता प्रतिमा (स्टेच्यू ऑफ यूनिटी) परियोजना, गरुडेश्वर विअर (बांध) परियोजना और हाल ही में विश्वामित्री रिवरफ्रंट विकास परियोजनाओं आदि जैसी परियोजनाओं के कारण पर्यावरण संवर्धन के नियमों का खुलकर तोड़ा जाना, आजीविका से जुड़े मुद्दों और पर्यावरण को होने वाली क्षति के बारे में चिंता व्यक्त की थी और इस मुद्दे पर प्रदर्शन भी किया था। इन सब कार्यों के साथ महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय (एमएसयू) के साथ उनका विभिन्न तरीकों से संबंध - शोधकर्ता, शिक्षक और महिला अध्ययन रिसर्च सेंटर के शैक्षणिक समन्वयक (अकादमिक सह-निर्देशक) के रूप में और बाद में वाणिज्य और सामाजिक कार्य संकाय के रूप में उनका संबंध यथावत रहा था।

तृप्तिबहन ने अपनी शैक्षिक विशेषज्ञता का अपने कार्य क्षेत्र में उपयोग किया था और उसे स्थानीय स्तर पर एक ठोस निष्पादन में तब्दील कर दिया था। चाहे स्वैच्छिक संगठनों के प्रशिक्षण के लिए परिचय पुस्तिका तैयार करना हो, कामकाज की समीक्षा करनी या सामुदायिक कार्यक्रम या प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना हो, तब तृप्तिबहन हमेशा सुधारात्मक कामकाज के साथ अपने शैक्षिक कौशल का भी इस्तेमाल करती थी।

तृप्तिबहन ने एमएसयू से 2000 में 'शहरी अनौपचारिक क्षेत्र में महिलाओं की आर्थिक स्थिति - वडोदरा शहर का एक अध्ययन' नामक शोध विषय पर पीएचडी की थी।

संगठित महिलाओं के आंदोलन की दिशा में मजबूत विश्वास के साथ उन्होंने अपना लेखन गहन रूप से जारी रखा था। उन्नति और 'सहियर' (महिला संगठन) द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित (2011) चार भागों वाली - महिला आंदोलन का इतिहास नामक पुस्तक श्रृंखला में भी तृप्तिबहन ने लेखन कार्य किया था।

जीवन के अंतिम दिनों में तृप्तिबहन विश्वामित्री रिवरफ्रंट विकास परियोजनाओं केस में नियमों को तोड़ने के बारे में, विशेष रूप से नदीय जैव विविधता, पर्यावरण को नुकसान, गरीबों की आजीविका छिनने आदि मुद्दों के बारे में चिंतित थी। आखिरी सांस तक उन्हें यह चिंता परेशान करती थी: महिलाओं के अधिकारों की बात लोग नहीं सुनते... नदी, पर्यावरण की बात लोग समझें तो बेहतर होगा।

तृप्तिबहन के साथी कॉमरेड, कार्यकर्ता, दोस्त और सहयोगी, रोहित प्रजापति और तृप्तिबहन के पुत्र मानव हमेशा तृप्तिबहन के सभी प्रयासों और कामकाज में उनके साथ खड़े रहे। महिलाओं के अधिकार सहित पर्यावरण और मानव अधिकारों के लिए एक संवेदनशील दृष्टिकोण के साथ ठोस काम करने वाली तृप्तिबहन लोगों के मन पर अपनी अमिट छाप छोड़ गई हैं। 'उन्नति' संस्था भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती है।

उन्नति

**विकास शिक्षण संगठन**

VÉÒ-1, 200, आज़ाद सोसायटी, अहमदाबाद-380015

फोन: 079-26746145, 26733296 फैक्स: 079-26743752 email: sie@unnati.org वेबसाइट: www.unnati.org

**राजस्थान क्षेत्रीय कार्यालय**

650, राधाकृष्णन पुरम, लहरिया रिसोर्ट के पास, चौपासनी-पाल बाई पास लिंक रोड, जोधपुर, राजस्थान

फोन: 0291-3204618 email: jodhpur\_unnati@unnati.org

इस बुलेटिन के लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं।

दीपा सोनपाल, अरविंद अग्रवाल, रमेश पटेल : ईमेल: sie@unnati.org, publication@unnati.org

**केवल सीमित वितरण के लिए**

आप लोक शिक्षण व प्रशिक्षण के लिए विचार में प्रकाशित सामग्री का सहर्ष उपयोग कर सकते हैं। कृपया सौजन्य का उल्लेख करना न भूलें और साथ ही अपने उपयोग से हमें अवगत करवायें ताकि हम भी उससे कुछ सीख सकें।